मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

रमज़ान-नवजीवन का आरम्भ

"एक जीवन का आरम्भ होता है जन्म से, एक जीवन का आरम्भ होता है व्यस्कता से, एक जीवन का आरम्भ होता है किसी विद्यालय से शिक्षा पूरी करने पर, एक जीवन का आरम्भ होता है हज से और एक जीवन रमज़ान से भी आरम्भ होता है। आप यह संकल्प लें कि अब इस रमज़ान से नमाज़ों की पाबन्दी उससे अधिक करेंगे जितनी करते थे। अब जमाअत का और ध्यान रखेंगे। यह संकल्प आप इसी रमज़ान से लीजिए।"

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)

MAY 17

₹10/-

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल नदवी

दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

रमज़ानुल मुबारक की अहम दुआएं

जब चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें:

"اَللّٰهُم اهِلهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ

رَبِّي وَرَبكَ اللّٰهُ هِلاَلَ رُشْدٍ وخَيْرٍ"

इफ़्तार से पहले ये दुआ पढ़ें:

"يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اِغْفِرْلِيْ"

इफ़्तार के वक़्त ये दुआ पढ़ें:

"اَللّٰهُم لَكَ صُمْتُ وَعَلىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ "

इफ़्तार के बाद ये दुआ पढ़ें:

"ذَهَبَ الظمَا وَابْتَلتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ"

किसी के यहां इफ़्तार करें तो ये दुआ पढ़ें:

"اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ

وَصَلتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ"

तरावीह में हर चार रकआत के बाद ये दुआ पढ़ें:

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ،

سُبْحَانَ ذِى الْعِزةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ،

سُبْحَانَ الْحَي الْمَلِكِ الذِيْ لَايَمُوْتُ، سُبوحٌ قُدوسٌ رَب الْمَلاَئِكَةِ وَالروحِ،

لَاإِلٰهَ إِلا اللّٰهُ، نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، نَسْاَلُكَ الْجَنةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النارِ۔

"اَللّٰهُم اِنّكَ عَفُو تُحِب الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. "

بسم الله الرحمن الرحيم

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक:०५ मई २०१७ ई० वर्ष:९

संरक्षक

हज़रत मौलाना
सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
(अध्यक्ष – दारे अरफ़ात)

निरीक्षक

मौ० वाज़ेह रशीद हसनी नदवी
जनरल सेकेरेट्री– दारे अरफ़ात

सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाखुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

सह सम्पादक

मो० नफ़ीस ख़ॉ नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ़

मुद्रक

मो० हसन नदवी

इस अंक में:

लापरवाही का परिणाम.....२
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

मानवीय स्वभाव.....३
हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

अल्लाह का ज़िक्र.....५
मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

एकेश्वरवाद क्या है?.....८
बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सच से आख़िर कब तक भागेंगे.....९
मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी

जुमा की फ़ज़ीलत और उसके कुछ आदेश.....११
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

साम्प्रदायिकता का सनसनीखेज़ सर्वे.....१३
डाक्टर अब्दुलक़ादिर शम्स

फ़िलिस्तीन को भारतीय हमदर्दी की आवश्यकता.....१५
प्रोफ़ेसर जनाब अख़्तरुल वासे

रोज़े की कुछ अनिवार्यताएं एंव मसले.....१६

E-Mail: markazulimam@gmail.com www.abulhasanalinadwi.org

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली,यू०पी०.229001

प्रति अंक 10रू

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला ख़ॉ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण,मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल–नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक 100रू०

सम्पादकीय

लापरवाही का परिणाम

● बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

देश के वर्तमान हालात को सामने रखते हुए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और दुखदायी बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं, वहां हमसे बहुत बड़ी लापरवाही यह हुई कि हमने अपनेआप को बहुत सीमित कर लिया। हमने अपनेआप को मदरसों की चारदीवारियों और मस्जिदों में क़ैद कर लिया। मुसलमानों के जो विशे ा मसले हैं उन तक अपने को सीमित कर लिया और जो जीवनधारा है, हम उससे अलग हो गए, जबकि जीवनधारे से अलग होना हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है और वह ख़तरा यह है जिसके परिणामस्वरूप हमको बिल्कुल किनारे लगा दिया जाएगा। यहां तक कि जो हालात हैं और देश जिस दिशा में जा रहा है, हम इससे बिल्कुल बेख़बर हो जाएंगे या हमको बेख़बर कर दिया जाएगा और हमें इस तरह किनारे लगा दिया जाएगा कि सबकुछ होता चला जाएगा। साज़िशें कामयाब होती चली जाएंगी और हमें यह पता भी नहीं चलेगा कि यहां क्या हो रहा है?यहां यह बात विशे ा रूप से ध्यान में रहे कि जीवनधारे का अर्थ साम्प्रदायिक धारे का नहीं है। क़ौमी धारे में मिलने के बारे में याद रहे कि हम एक लम्हे के लिए भी इसको गवारा नहीं कर सकते। अगर ख़्वाब में हमसे क़ौमी धारे की बात की जाए तो हम इसपर चौंक जाएंगे कि यह हमारे ईमान (आस्था) की सुरक्षा व शे ा रहने का मामला है। यद्यपि जो जीवनधारा है, यदि हम उससे अलग हुए, जैसा कि बड़ी हद तक हमसे यह ग़लती हुई है, तो यह बहुत ख़तरे की बात है।

वास्तविकता यह है कि जिस तरह दूसरे के भीतर पहुंचकर कार्य करने (इस्लाम का प्रचार–प्रसार) की आवश्यकता थी। जिस प्रकार अपनी आवश्यकता को प्रामाणित करने की आवश्यकता थी, अपनी ज़रूरत को साबित करने का जो भाव होना चाहिए था, हमनें उन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने रक्षात्मक पोज़ीशन अपना ली है और यह तय कर लिया है कि जो आंधिया और तूफ़ान आ रहे हैं उनके लिए हम एक ऐसा घेरा बना लेते हैं कि उन तूफ़ान और आंधियों से हमारे ऊपर कोई ख़तरनाक असर न पड़े। हम अपने वजूद को बाक़ी रख सकें। लेकिन यह बात समझने की है कि हम कहां तक घेरे बनाएंगे, कहां तक वे दीवारें क़ायम रखेंगे। अगर आंधियां तेज़ होती चली गई और बला का तूफ़ान होगा तो शायद हम इस घेरे को संभाल नहीं सकेगे। बहुत दिनों तक उनको बाक़ी नहीं रख सकेंगे। ज़रूरत इस बात की थी कि हम उन आंधियों को रोकने की कोशिश करते, और यह देखते कि आंधियां कहां से चल रही हैं। उनकी अस्ल जगह पर पहुंच कर हम उनको रोकने की कोशिश करते। साफ़ है कि यह तभी संभव है जब हम जीवनधारे में घुसने ही की कोशिश नहीं बल्कि जीवनधारे को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। अपने स्वभाव, विचारों व कर्मों के अनुसार इसकी दिशा बदलने का प्रयास करें। जब इस प्रकार कार्य करने का भाव हमारे भीतर पैदा होगा तब हमारे सामने जो हालात हैं हम उनको आसानी से बदल सकते हैं।

मानवीय स्वभाव

हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने मनुष्य को जो स्वभाव प्रदान किया है वह मानवीय स्वभाव है। उसमें अच्छाइयों से प्रेम करने और बुराइयों से घृणा करने का भाव है। इसीलिए हदीस शरीफ़ (रसूलुल्लाह (स0अ0) के कथन) में आता है कि गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटके। मानो मनुष्य की अन्तरात्मा और उसका हृदय ऐसा है कि वह अच्छी बात को अच्छा और बुरी बात को बुरा समझता है। लेकिन उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि फिर वह बुराइयों में क्यों पड़ जाता है? इसका उत्तर यह है कि बुराइयों में पड़ जाने का एक बड़ा कारण उसके मन की इच्छाएं हैं। इच्छाओं का अर्थ यह है कि वे वस्तुएं जिनसे शारीरिक सुख मिले, जिनसे कुछ देर के लिए आदमी को अच्छा लगे, उसको आनन्द की प्राप्ति हो, चाहे उससे किसी को नुक़सान हो रहा हो या उसके परिणामस्वरूप कोई ग़लत कार्य हो रहा हो, तब भी मनुष्य उसको करता है, जैसेः यदि किसी को खाने का शौक़ है तो वह केवल अपना शौक़ पूरा करने के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन कर लेगा। यद्यपि यह बात निश्चित है कि मनुष्य जो भी बुराई करता है तो उसको बुरा समझता है। उसकी अन्तरात्मा महसूस करती है कि यह बात अथवा यह काम बुरा है।

अल्लाह तआला जिसकी ज़ात अत्यधिक दयालु व कृपालु है। उसने यह व्यवस्था की है कि जब लोगों में उनकी मन की इच्छापूर्ति के परिणामस्वरूप बुराइयां फैल जाएं, तो उनको समझाने वाले आएं और उनको बताएं कि तुम ग़लती कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो और उनके रिश्ते को अल्लाह से जोड़ें। वे लोगों को यह बताएं कि अच्छे और बुरे को अल्लाह तआला ही ने बनाया है। मनुष्य का जो स्वभाव बनाया है वह भी अल्लाह ही ने बनाया है। उसमें अच्छे और बुरे का अन्तर समझने की शक्ति भी रखी है और उसको मन भी प्रदान किया है। जिसकी अपनी इच्छाएं होती हैं अतः सफल व्यक्ति वह है जो अच्छे और बुरे का अन्तर करे और यह दुनिया जो मनुष्य के लिए ''परीक्षा केन्द्र'' है, इसमें मनुष्य को भेजने का उद्देश्य यह है कि उनको जांचा–परखा जाए और यह देखा जाए कि वह अपने मन के पीछे भागते हैं या अपने वास्तविक मालिक (अल्लाह) के आदेशों की पूर्ति करते हैं। अपनी इच्छाओं का त्याग करके नेकी पर अमल करते हैं या किसी और चीज़ पर। अतः अगर उन्होंने अपने मन की पैरवी की तो उनका अन्जाम जहन्नम (नर्क) होगा और अगर बुरे कामों से स्वयं को रोके रखा तो उनके लिए ईनाम के रूप में जन्नत (स्वर्ग) में सदा का आनन्द होगा। अल्लाह तआला का कथन हैः

''तो जिसने सरकशी (उद्दण्डता) की, और दुनिया की ज़िन्दगी को वरीयता दी तो निसंदेह नर्क ही उसका ठिकाना है और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और मन को उसने इच्छाओं से रोका, तो निसंदेह जन्नत ही उसका ठिकाना है।'' (नाज़िआतः 37–41)

यानि जिस व्यक्ति ने अल्लाह के लिए अपने मन को रोका, यह समझकर कि अल्लाह नेकी को पसंद करता है और बुराई को नापसंद करता है और नेकी और बुराई अल्लाह तआला ने इन दोनों को पैदा इसीलिए किया है कि वे देख सकें कि लोग नेकी की बात मानेंगे या अपने मन की बात मानेंगे।

संक्षेप में यह कि अल्लाह तआला का तरीक़ा यह है कि जब लोगों में अपनी मनमानी की वजह से ख़राबियां बहुत पैदा हो जाती हैं तो अल्लाह तआला हर क़ौम (समुदाय) में सुधारक पैदा करता है, पिछली क़ौमों में जो लोग सुधार करने के लिए उठते रहे, वे आम तौर पर नबी होते थे। चलन में उनके लिए नबी और रसूल दो शब्द प्रयोग होते हैं। नबी, भविष्य की ख़बर देने वाले, भविष्यवाणी करने वाले को कहते हैं, और रसूल वह है जो अपने रब का संदेश लेकर आया हो। अतः कुरआन व हदीस में जहां ''रसूल'' का ज़िक्र होता है, उससे आशय अल्लाह का पैग़ाम लाने वाला होता है और जहां यह होता है कि जो आख़िरत की ख़बर देने वाला है, यह बताने वाला है कि बाद में क्या होगा, तो वह नबी है। कुरआन की आयतों व रसूलुल्लाह (स0अ0) की हदीसों से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) के आने से पहले दूसरी क़ौमों में नबी आते थे, और वे लोग सुधार का काम करते थे, आम तौर पर वे नबी ही कहलाते थे। उनके पास अल्लाह की तरफ़ से फ़रिश्तों के ज़रिये वह्य (ईशवाणी) आती थी लेकिन रसूलुल्लाह (स0अ0) पर पहुंचकर नुबूव्वत ख़त्म कर दी गई। आप (स0अ0) को अल्लाह ने आख़िरी नबी बनाया, लेकिन आप जो काम करते हैं, यह काम लोग करते रहेंगे और जो लोग

आपका यह काम करेंगे वे दावत देने वाले, प्रचारक, सुधारक कहलाएंगे। अल्लाह तआला उनसे वह काम लेगा जो पिछली क़ौमों में नबियों से लेता था।

नबियों के हालात का अध्ययन करने से पता चलता है कि कभी–कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी क़ौम में नबी आया और उसने अपनी पूरी ज़िन्दगी ख़र्च कर दी, लेकिन उसकी क़ौम में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। आख़िर में नबी ने अल्लाह से यह कहा कि ऐ परवरदिगार! हम सारी कोशिशें कर चुके, लेकिन यह बिल्कुल पत्थर की तरह हैं। ये अपनी तबियत से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। न ही यह लोग भलाई अपनाने वाले हैं। लिहाजा अब उनको दुनिया में रहने का हक़ नहीं है। उनको ख़त्म कर दिया जाना मुनासिब है। अतः ऐसे लोगों को नबी की दुआ पर अल्लाह तआला ने अज़ाब भेजकर ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद नई क़ौम वजूद में आयी। वह इस तरह कि इस क़ौम में कुछ वे लोग होते थे जो उसी क़ौम में से मुसलमान हुए थे, उन्होंने नबी की दावत को कुबूल किया था चुनान्चे उन्हीं कुछ आदमियों की नस्ल में अल्लाह तआला ने बरकत अता फ़रमायी और फिर कुछ अर्से बाद नये सिरे से पूरी क़ौम तैयार हो गई।

कुरआन मजीद में नबियों की फेहरिस्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ासतौर पर ज़िक्र आता है, उनकी एक हज़ार साल की उम्र हुई और उन्होंने साढ़े नौ सौ साल धर्म के प्रचार–प्रसार का काम किया। लोगों को बुराइयों से रोका। लेकिन आख़िर में वे बिल्कुल मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि ऐ परवरदिगार! अब उनको ख़त्म कर दे। यह सड़े हुए लोग हैं। उनका दुनिया में रहना फ़साद ही का कारण है। यह दुनिया में रहने के क़ाबिल नहीं हैं। अतः अल्लाह तआला ने सैलाब से उनको तबाह कर दिया।

कायनात में जो कुछ नज़र आता है, यह सब अल्लाह का बनाया हुआ है और इस पूरी व्यवस्था की हैसियत आज्ञाकारी व फ़रमाबरदार की है। उसमें हर चीज़ वही करेगी जैसा अल्लाह ने उसको बना दिया है, सिवाए इन्सानों और जिन्नों के कि उनको अल्लाह ने अख़्तियार भी दिया है, बाक़ी चीज़ों को यह अख़्तियार नहीं हासिल है। जो प्रकृति अल्लाह ने उन चीज़ों की बना दी है व कैफ़ियत व फ़ितरत उनकी स्वभाविक हो जाती है, वह चीज़ें उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। जिसे अल्लाह ने पेड़ बनाया, लेकिन वह ख़ुद अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह अल्लाह ने उसका तरीक़ा तय कर दिया है, उसी तरीक़े से वह पेड़ बनेगा। पहले चक्र में बीज से पौधा बनेगा। फिर उसको पानी मिलेगा तो वह और बढ़ेगा और धीरे–धीरे वृक्ष बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाए कि वह ख़ुद से कुछ कर ले? जैसे एक फल का पेड़ है वह दूसरे फल में बदल जाए या यह कि वह अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाए तो यह नहीं हो सकता। क्योंकि उसको ख़ुद से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उनको जैसा अल्लाह ने बना दिया है, वैसा ही वह काम करते हैं, यद्यपि उसके प्राणियों में मनुष्य और जिन्नात ऐसे हैं जिनको उसने एक निर्धारित सीमा में अधिकार भी दिया है ताकि उनकी परीक्षा ले कि वे अपनी तरफ़ से अल्लाह की कितनी उपासना करते हैं। हालांकि यह बात अल्लाह की क्षमता से बाहर नहीं कि वह उनको अपनी उपासना पर मजबूर कर दे। उनका ऐसा स्वभाव बना दे कि वे उपासना के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य और जिन्नों को अल्लाह ने अधिकार दिया है कि अगर उनकी इच्छा न करे तो वे उसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं जिसका हुक्म है।

कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने विभिन्न क़ौमों का हाल बयान किया है। यह बताया है कि नबी लोगों को समझाता है, लेनिक वे नहीं मानते। आख़िर में नबी उनको समझाने और मनाने के लिए मोजज़ात (ईशचमत्कार) दिखाता है, यानि वह कार्य करता है जो इन्सान के बस के नहीं हैं। मोजज़े के माने ही यह है कि ऐसी चीज़ दिखाना जो दूसरों के बस में न हो, जैसे; हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने डंडा फेंका और सांप बन गया, और वह अज़दहा (एक बड़ा अजगर) बनकर सारे सांपो को खा गया। साफ़ है कि हर कोई यह बात जानता है कि मनुष्य के करने से डंडा सांप बन ही नहीं सकता, डंडा तो डंडा रहेगा, वह टूट सकता है लेकिन अपने अन्दर कोई बदलाव नहीं ला सकता है। इसलिए अल्लाह ने डंडे की जो प्रकृति बना दी है, वह उसी पर रहेगा। लेकिन डंडे का सांप की शक्ल अपना लेना इस बात का प्रमाण था कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने किसी दूसरी ताक़त से ऐसा किया है जो उनको हासिल हुई है। लेकिन इस ताक़त को उनकी क़ौम ने यूं समझा कि जादू से भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अस्ल चीज़ दूसरी शक्ल में नज़र आने लगती है, या उसमें बज़ाहिर हरकत मालूम होने लगती है। इसलिए उन लोगों ने यह कहा था कि यह कोई जादूगर हैं।

अल्लाह का ज़िक्र

मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह०

हज़रत अबुहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने कहाः ''अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अपने बन्दे के साथ वैसा मामला करता हूं, जैसा कि वह मेरे साथ गुमान रखता है। जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है, तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूं। अगर वह मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं उसको बेहतर महफ़िल में याद करता हूं।'' (बुख़ारी)

एक दूसरी हदीस में हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0अ0) ने कहाः ''मुफ़र्रिदून वरीयता प्राप्त कर ले गए। सहाबा ने पूछाः मुफ़र्रिदूर कौन लोग हैं? आप (स0अ0) ने बतायाः अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले मर्द और औरतें।'' (मुस्लिम)

इसी तरह एक दूसरी रिवायत में हज़रत जाबिर (रज़ि0) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स0अ0) को कहते हुए सुना किः ''सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र (जाप) ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' है।'' (तिरमिज़ी)

ज़िक्र (जाप) किसको कहते हैं? ज़िक्र का स्थान क्या है? यह कुरआन व हदीस से साफ़ है। ज़िक्र (जाप) से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कुरआन में फ़रमाया गया कि अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। कुरआन व हदीस से मालूम होता है कि बन्दों के लिए आख़िरत (परलोक) में सबसे पसंदीदा चीज़ और वरीयता प्राप्त करवाने वाली चीज़ अल्लाह का ज़िक्र (अल्लाह की याद) है, अल्लाह के बन्दे जो जन्नत के लायक़ होंगे जब जन्नत में पहुंच जाएगें और जन्नत की नेमतों (उपकारों) को प्राप्त कर लेंगे तो अल्लाह तआला कहेगा और कुछ मांगो। वे हैरत से पूछेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई चीज़ हो सकती है? सबकुछ तो मिल गया। आपका दीदार भी मिल गया। सबसे आनन्ददायी चीज़ अल्लाह का दीदार (देखना) है, फिर अल्लाह कहेगा कि तुम पर अपनी रज़ा वाजिब कर रहा हूं और मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। (बुख़ारी)

अल्लाह की रज़ा (प्रसन्नता) सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरआन में कहा गया किः

''और अल्लाह की ख़ुशनूदी (प्रसन्नता) बहुत बड़ी चीज़ है।'' तो ज़ाहिर है कि जब अल्लाह का प्रसन्न होना सबसे बड़ी चीज़ है तो यह बड़ी चीज़ मिलेगी भी सबसे बड़ी चीज़ से और वह है अल्लाह का ज़िक्र अथवा याद। यानि अल्लाह की रज़ा भी बड़ी चीज़ है और अल्लाह का ज़िक्र भी बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ बड़ी चीज़ से ही मिलती है।

ज़िक्र (जाप) की बहुवचन अज़कार है, ज़िक्र का अर्थ याद करने का है, उसके विभिन्न रूप हैंः

1. ज़बानी यानि ज़बान से अल्लाह को याद करना।
2. दिली यानि दिल से अल्लाह को याद करना।
3. तीसरा चक्र चर्चा करने का है कि ख़ुद भी ज़िक्र करें और दूसरों को भी उसका निमन्त्रण दे।

ज़िक्र जब इतनी बड़ी चीज़ है तो अल्लाह ने उसके लिए व्यवस्था भी की है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है और अक़ामत कही जाती है। जो ज़िक्र भी है और इल्म भी। मानो इल्म व ज़िक्र बच्चे के कान में डाल दिया गया और दोनों का रस दिल व दिमाग़ में घोल दिया गया ताकि दिल ठीक रहे जिसका संबंध अल्लाह की याद से है और दिमाग़ भी लग जाएं और चलने लगें। कुरआन में अल्लाह ने जगह–जगह पर ज़िक्र का हुक्म दिया हैः कहा गया है कि ''तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।''

मनुष्य के स्वभाव में है कि कोई एहसान करे तो उसका शुक्र अदा किया जाए। वरना वह एहसान फ़रामोश कहलाता है। अल्लाह तआला मनुष्य को बचपन से ही अनगिनत उपकारों से मालामाल करता रहता है। अगर वह अल्लाह को याद न करे, तो कितनी बेवफ़ाई की बात है, कितनी बेशर्मी, बेग़ैरती और एहसान फ़रामोशी की बात है। तो ज़िक्र इन्सान के स्वभाव में दाख़िल कर दिया गया। अगर किसी के अन्दर यह बात न हो तो वह एहसान फ़रामोश है।

फिर अल्लाह ने याद करने का तरीक़ा भी बता दिया कि अगर कोई उसको याद करना चाहे तो इस तरह याद करे। आम तौर पर ख़त पर पता लिखा जाता है तो उसी भाषा में लिखा जाता है जो चल रही हो। अगर उर्दू में पता लिखें तो गुम हो जाएगा। हिन्दी में लिखें तो जल्दी पहुंचेगा। इसी तरह ज़िक्र का मामला है कि अरबी में तो इसका फ़ायदा असाधारण होगा। यूं तो अल्लाह तआला ही ज़बानों का बनाने वाला है जो जिस ज़बान में चाहे

अल्लाह को याद करे और जिस तरह चाहे याद करे, उसको फ़ायदा तो होगा। लेकिन जो अल्लाह का दिया हुआ ज़िक्र है, उसका जो फ़ायदा होगा वह अनुवाद में नहीं हो सकता। जैसे ''अस्सलाम अलैकुम'' कहने पर दस नेकी हैं, ''वरहमतुल्लाह'' कहने पर बीस नेकी, और ''बरकातुहु'' कहने पर तीस नेकी। लेकिन इसका अनुवाद कर दें तो न दस, न बीस, न तीस। कोई कहे कि मैं आदाब कर आया अथवा आप पर सलामती हो, तो उससे वह फ़ायदा नहीं होगा जो अस्सलामअलैकुम कहने का होगा। इसलिए अल्लाह ने सलाम को इतना आसान कर दिया कि हर व्यक्ति कह सकता है, चाहे वह किसी इलाक़े का रहने वाला हो। अल्लाह का नियम है कि वह हर आम और लाभकारी चीज़ को आसान कर देता है। इसी तरह ज़िक्र को भी आसान कर दिया। अल्लाह के रसूल (स0अ0) ने फ़रमायाः ''सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ''लाइलाहाइल्लल्लाह'' है।'' (तिरमिज़ी)

यह कलिमा (वाक्य) अज़कार (जाप) में सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तसव्वुफ़ के हल्कों में जो ज़िक्र ज़्यादातर किया जाता है वह यही है और इसको ख़ास अन्दाज़ में भी कर दिया जाता है लेकिन इसमें जो गर्दन व जिस्म का हिलाया जाना और सर का झुकाना है या उसी तरह की चीज़ें, यह सब उपायों की तरह हैं, यह अस्ल नहीं लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है, सब लोग उन्हीं उपायों में उलझ गए, और अस्ल को भूल गए। मालूम होना चाहिए कि ''लाइलाहाइल्लल्लाह'' का जाप करने का यह फ़ायदा है कि हमारे अन्दर जो लावबालीपन है और जो ग़फ़लत है वह दूर हो, जैसे आदमी का बहरा होना, उसको बुलाना होता है उसे ज़ोर से बुलाते हैं। यह ज़िक्र भी इसी तरह है हम बहरे हैं तो दिल को जगाने के लिए दिल पर चोट लगानी पड़ती है और ज़ोर से कहना पड़ता है। अगर हमारा दिल बेदार हो तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अपनेआप वे चीज़ें हासिल हो जाएंगी। अरबों और अजमियों (द्रविड़ों) में एक बहुत बड़ा फ़र्क़ यह भी है कि अरब प्रत्यक्ष रूप से अरबी समझते हैं और सुबह व शाम इतना अल्लाह का नाम लेते हैं कि उनका ज़िक्र अपने आप हो जाता है और हम लोग गूंगे अजमी हैं। हमारे मुंह से सलाम तक नहीं निकलता या तो पान खाते होते हैं तो मुंह बन्द है, हाथ हिला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हालांकि यह यहूदियों और इसाइयों का तरीक़ा है। सुबह से शाम तक की दुआएं अरबों को याद हैं और अरबी जानने की वजह से समझकर वे इसको पढ़ते हैं, इसीलिए उनको ख़ास तौर पर तस्बीह की ज़रूरत नहीं और हमको तस्बीह की ज़रूरत पड़ती है, हम चलते–फिरते नहीं कर पाते तो एक जगह बैठ कर करना पड़ता है।

सिर्फ़ ज़बान से ज़िक्र काफ़ी नहीं बल्कि उसकी पहचान भी मिलनी चाहिए। लोगों ने आज शब्दों का नाम ज़िक्र रख दिया है। पता चला कि दस–दस हज़ार तस्बीह हैं, बैठकर सर हिला रहे हैं, कोई फ़ायदा उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि वे ग़फ़लत से कह रहे हैं, हज़रत मुजद्दिद अलफ़े सानी लिखते हैंः "जब आदमी ''सुब्हान अल्लाह'' (अल्लाह हर ऐब से पाक है) कहता है तो अल्लाह तआला फ़ौरन हुक्म देता है कि इस बन्दे के ऐब दूर कर दो और जब कहा, ''अल्हम्दुलिल्लाह'' (सारे कमालात और तारीफ़ें आपके लिए हैं) तो अल्लाह ने ऊपर से कहा, उसको कमाल दो, अब जिस दर्जे में हमारा सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह होगा उसी दर्जे में हमारे ऐब दूर होंगे, मानो सुब्हानल्लाह ऐबों को दूर करने का जाप है। हदीस में आता है कि हर नमाज़ के बाद सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाहु अकबर दस–दस बार पढ़ ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन शैतान भुला देता है, कोई उसकी पाबन्दी नहीं करता।

ज़िक्र (अल्लाह की याद) कोई मामूली चीज़ नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ज़िक्र उसी तरह का होना चाहिए। ज़बान से जब ज़िक्र हो तो ध्यान भी हो और जब ध्यान होगा तो काम बनेगा। हां यह अलग बात है कि कई बार आदमी पर हमले का ज़ोर होता है, तकल्लुफ़ से काम लेना पड़ता है। इसीलिए क़ुरआन में हैः "जो लोग अल्लाह के कृपापात्र हैं जैसा कि उनको ख़तरा शैतान की तरफ़ से आ जाता है तो वे याद में लग जाते हैं।" सो यकायक उनकी आंखे खुल जाती हैं। एक हदीस में आता है कि जब अज़ान होती है तो शैतान बहुत बुरी तरह भागता है। यानि उसकी गत बन जाती है तो इस बात से साफ़ है कि अज़ान देने वाले के दिमाग़ में लेकिन जो शब्द शैतान कानों से टकरा रहे हैं, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अतः इससे यह समझा जा सकता है कि अगर अल्लाह की याद के समय तकल्लुफ़ से काम लेकर याद किया जाए और अल्लाह का नाम लिया जाए तो यक़ीनी तौर पर शैतानी कैफ़ियत समाप्त हो जाती है ज़िक्र के बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन बेहतर यह है कि मनुष्य किसी गुरू की सरपरस्ती में यह कार्य करे, क्योंकि यह दोधारी तलवार है, जिसमें कभी–कभी मनुष्य वास्तविकता से परिचित न होने के कारण भी बहक भी जाता है।

एकेश्वरवाद क्या है?

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

नबियों की शान

"किसी मनुष्य से यह नहीं हो सकता है कि अल्लाह ने उसको किताब और हिकमत (तत्वदर्शिता) दी हो व अपना संदेष्टा (नबी अथवा रसूल) बनाया हो फिर वह लोगों से कहता फिरे कि अल्लाह के बजाए मेरे बन्दे बन जाओ बल्कि (वह तो यही कहेगा कि) अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम करते और जैसे तुम खुद उसको पढ़ते रहे हो।" (आले इमरानः 79)

इस आयत में नबियों (संदेष्टाओं) को ख़ास तौर पर सम्बोधित किया जा रहा है। उनका काम यह है कि वे तौहीद (एकेश्वरवाद) की बात कहते हैं। वे एक अल्लाह की तरफ़ बुलाते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए यह शोभा नहीं देता कि जिसको अल्लाह ने किताब दी हो और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नुबूव्वत व हिकतम दी (संदेष्टा बनाया) हो, फ़ैसल करने की ताक़त दी हो, हिकमत (तत्वज्ञान) दी हो, यानि उसको नुबूव्वत मिली हो, अल्लाह ने उसको संदेष्टा के पद पर सुशोभित किया हो, उसको हिकमत दी हो, दानाई (ज्ञान) की बातें दी हों, उसके लिए फिर हो ही नहीं सकता कि वह कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बन्दे बन जाओ, क्या वह उसकी दावत देगा? उसको तो इसीलिए भेजा गया है कि वह एक अल्लाह की ओर बुलाए। वह तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत देगा। मुमकिन नहीं कि वह यह कहे कि मेरे बन्दे बन जाओ और अल्लाह को छोड़कर मुझको अपना रब और अपना माबूद समझ लो। वह तो यह कहेगा कि तुम जो किताब पढ़ते–पढ़ाते हो। उसका नतीजा तो यह होना चाहिए कि तुम अल्लाह के बन जाओ। अल्लाह वाले बन जाओ। एक अल्लाह को मानो। उसके आगे सर झुकाओ। यह सभी नबियों की दावत है। वे इसीलिए आए, लेकिन हुआ यह कि नबियों के जाने के बाद उनके मानने वालों ने गुलू (सीमोल्लंघन) किया। वे जिस चीज़ की दावत लेकर आए उसके ख़िलाफ़ उन्होंने उनको ख़ुदा व माबूद बना दिया। इसलिए इससे हमेशा होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरी उम्मतों ने जो किया वही काम यह उम्मत कर रही है। आपने यह बात कही थी कि जो बनी इस्राईल ने किया तुम बिल्कुल सारे काम वही करोगे फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि उन्होंने तो यह काम सामूहिक रूप से किये थे और यह उम्मत वही काम व्यक्तिगत रूप से करेगी। कहीं पर कुछ लोग यह काम करेंगे, कहीं पर कुछ। यहां तक फ़रमाया किः

"निसंदेह तुम अपने पहले लोगों की पैरवी करोगे, बालिश्त–बालिश्त और गज़–गज़ के बराबर भी। यहां तक कि अगर वे किसी गोह (एक प्रकार का जानवर) के सुराख़ में भी दाख़िल हुए हो तो तुम भी दाख़िल होगे।" (बुख़ारीः 732)

यहां तक कह दिया कि अगर उनमें से किसी ने अपनी मां के साथ खुलकर ज़िना (व्यभिचार) किया है तो इस उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी मां के साथ ज़िना करेंगे।

बात यह है कि शिर्क (बहुदेववाद) की जो शक्लें पिछली उम्मतों (समुदायों) में थीं, आज वही शक्लें लगभग इस उम्मत के अन्दर पैदा हो रही हैं। लेकिन इससे हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह (स0अ0) ने हमें चेताया था कि कहीं तुम्हारे अन्दर ऐसी बात न पैदा हो। जिस तरह पहले की उम्मतों ने शिर्क या बुराईयां अपनाई थीं तुम भी उसी रास्ते पर पड़ जाओ। आपने जो बात कही कि "तुम ऐसा करोगे" इसमें चेतावनी है कि ऐसा करने वाले होंगे, तो तुम अपने आप को ऐसा मत बना लेना। तुम इस रास्ते पर न पड़ जाना

कि तुम ख़ुद भी गुमराह हो जाओ। ग़लत रास्ते पर पड़ जाओ। अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर डाल लो। हमेशा अपने को इससे बचाओ। एक अल्लाह को मानो। उसी के आगे अपने सर को झुकाओ।

ग़ैब की कुन्जियां

"और ग़ैब की कुन्जियां उसी के पास हैं, वही उसको जानता है, ख़ुश्की (थल) और तरी (जल) में जो कुछ है वह उससे परिचित है और जो पत्ता भी गिरता है वह उसको जानता है और ज़मीन के अंधेरों में जो दाना है और जो भी जल व थल है वह सब खुली किताब में मौजूद है।" (अलइनआमः 59)

इस आयत में साफ़–साफ़ तौहीद (एकेश्वरवाद) को स्पष्ट किया जा रहा है कि ग़ैब (परोक्षज्ञान) की कुन्जियां अल्लाह के पास हैं। यह पांच बातें इसमें ख़ास हैं। जिनका आगे ज़िक्र आएगा। इसका कुरआन मजीद में कम से कम दो जगह ज़िक्र आता है। यहां आम अन्दाज़ में एक बात कही जा रही है कि ग़ैब की कुन्जियां अल्लाह के पास हैं। ग़ैब को कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह के। वही जानता है जो जल व थल में है। जो पत्ता गिरता है उसको अल्लाह ही जानता है और ज़मीन के अंधेरों में और जल व थल में जो मामूली सी मामूली चीज़ भी है वह सब खुली किताब में मौजूद है। अल्लाह ने जो चीज़ें तक़दीर में लिख दी हैं, उसमें एक–एक चीज़ लिख दी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह ने न लिखी हो। वह सब अल्लाह के पास सुरक्षित है और सब अल्लाह के ज्ञान में है। छोटी चीज़ हो या बड़ी, बहुत से लोग समझते हैं कि यह छोटी–छोटी चीज़ अल्लाह के इल्म में क्या होंगी? याद रहे कि अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो वह भी अल्लाह की जानकारी में है। अगर एक ज़र्रा उड़ता है तो वह भी अल्लाह की जानकारी में है। केवल उसकी जानकारी में ही नहीं बल्कि उसके आदेश से होता है। उसकी कुदरत में यह चीज़ शामिल है। वह जो चाहे करे। पूरे–पूरे समन्दरों को उथल–पुथल कर दे। ज़मीनों और आसमानों को तोड़–मोड़कर बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देना और एक ज़र्रे को इधर से उधर कर देना सब अल्लाह के हाथ में बिल्कुल समान और बराबर है। ऐसा नहीं कि उसका एक काम मुश्किल है और दूसरा आसान। उसके सामने दुनिया की कोई क़ीमत नहीं। हदीस में आता है किः

"अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की क़ीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अपने तो अपने बाग़ी काफ़िर को एक घूंट पानी भी न देता।"

ज़ाहिर है कि आपसे कोई दुश्मनी मोल ले और आपका बाग़ी (विद्रोही) हो। दुश्मनी भी मामूली न हो बल्कि बाग़ी हो जाए। आपके क़त्ल करने पर उतारू हो, आप से कठोर विद्रोह करे। निसंदेह आप चाहेंगे कि उसको एक दाना न दिया जाए। अल्लाह जो कुदरत (सामर्थ्य) रखता है। अगर यह दुनिया उसके नज़दीक क़ीमती होती तो उसके जो बाग़ी हैं, क्या वे दनदनाते फिरते? उनको हुकूमतें मिलती? अल्लाह तआला ने एक जगह साफ़–साफ़ यहां तक कह दिया कि अगर यह डर न होता कि तुम ईमान छोड़ दोगे तो अल्लाह तआला काफ़िरों के घर को सोने चादीं की ईटों से बनवा देता। अल्लाह का इरशाद हैः

"और अगर यह (ख़्याल) न होता कि तमाम लोग एक ही मिल्लत (कुफ़्र) पर आ जाएंगे तो हम ज़रूर रहमान का इनकार करने वालों के लिए उनके घरों की छतों को चांदी का कर देते और ज़ीने भी जिन पर वे चढ़ा करते हैं, और उनके घरों के दरवाज़े और मसेहरियां जिन पर वे टेक लगाते हैं, सोने का कर देते जबकि यह सब कुछ नहीं सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी के सामान हैं और आपके रब के नज़दीक आख़िरत परहेज़गारों के लिए हैं।" (सूरह जुख़रुफ़ः 33–35)

अर्थात यदि यह डर न होता तो अल्लाह तआला दुनिया सारी की सारी काफ़िरों को दे देता। ईमान वालों को कुछ न मिलता। लेकिन डर है कि ईमान वाले कहीं ऐसी आज़माइश में न पड़ जाएं कि ईमान छूट जाए और अल्लाह न करे कुफ़्र में चले जाएं। इसलिए अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। मगर मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कोई क़ीमत नहीं। लिहाज़ा दुनिया का इधर से उधर कर देना, उसको उलट पुलट देना और पूरी कायनात का ज़ेर ज़बर कर देना और एक ज़र्रा का इधर से उधर कर देना वह सब जानता है। उसी की कुदरत में है। उसमें कोई दख़ल नहीं दे सकता।

सच से आख़िर कब तक भागेंगे?

मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी (सांसद, राज्यसभा)

हिन्दुत्व के नये पोस्टर ब्वाय योगी आदित्य नाथ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ती की घोषणा केवल भारत के धर्मनिरपेक्ष वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए ही आश्चर्यजनक तथा चिन्ता का कारण नहीं थी अपितु विख्यात अमरीकी दैनिक ''न्यूयार्क टाइम्स'' ने भी इस ख़बर को आश्चर्य के साथ प्रस्तुत किया। अख़बार ने इसी पर संतोष नहीं किया बल्कि बहुत ही आलोचनात्मक सम्पादकीय भी लिखा जिसमें न केवल बीजेपी के इस निर्णय की निंदा की गई बल्कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के भय व उनकी चिंताओं को भी उजागर किया गया और साथ ही यह तीखी टिप्पणी भी की गई कि मोदी सरकार भारत को हिन्दु राष्ट्र में बदलने की तैयारी कर रही है। इस सम्पादकीय में कहा गया है कि यूपी का मुख्यमंत्री कट्टरवादी नेता योगी आदित्यनाथ को बनाने का प्रधानमंत्री का क़दम देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए धक्का है और यह इस बात का संकेत है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हालात बदल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी यह मान रही है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश को हिन्दुराष्ट्र में बदलने पुरानी इच्छा की पूर्ति के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। 'मोदी के द्वारा हिन्दु चरमपंथियों की ख़तरनाक स्वीकृति' नामक शीर्षक के इस सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी पार्टी के कट्टर हिन्दू वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। देश के विख्यात क़ानूनदां फ़ाली नरीमन ने भी योगी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या यह हिन्दुराष्ट्र का आरम्भ है?उन्होंने कहा कि देश का संविधान ख़तरे में है और जिन लोगों को योगी की नियुक्ति के पीछे का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, वे या तो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं या उन्हें अपनी आंखों और दिमागों का इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मेरी बात रद्द कर सकते हैं लेकिन यह मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति का नियुक्त किया जाना इस बात की ओर संकेत है कि वे हिन्दू राष्ट्र के मुद्दे को तूल देना चाहते हैं। उन्होंने जनता से कहा कि प्रधानमंत्री से पूछें ताकि यह उन्हें किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद के अदालत के बाहर बातचीत के उपाय का भी विरोध किया और कहा कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। इसी प्रकार विख्यात लेखक ए.जी. नूरानी ने भी योगी के चुने जाने के फ़ैसले की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर साम्प्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जनता से अनुरोध किया है कि वे इस निर्णय के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। लेकिन मोदी सरकार को यह कटु सत्य सुनना शायद गवारा नहीं है। सरकार के एक बड़े अधिकारी ने अमरीकी अख़बार और सम्पादकीय पर एतराज़ किया है और कहा कि लोकतान्त्रिक चुनावी निर्णय पर सवाल क्यों खड़े किये जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सच आख़िरकार सच होता है और अब तो मोदी सरकार खुलकर हिन्दुत्व का कार्ड खेल रही है अतः उसे एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के तुरन्त बाद योगी की जो वरीयताएं उनके फ़ैसलों के रूप में सामने आ रही हैं, उनसे भी यही लगता है कि उनकी मुस्लिम विरोधी छवि बदलेगी नहीं बल्कि उनकी इसी छवि ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई है और वे अपनी छवि को और कट्टरवादी बनाकर के न केवल अपनी पार्टी को चुनावी लाभ दिलाएंगे बल्कि स्वयं उनका स्तर भी और ऊंचा हो सकेगा।

2014 में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक कम से कम तीन बरस के इस अर्से में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्यवाहियां हुई हैं, उनकी रोशनी में यह बात सामने आ गयी है कि सरकार और उससे जुड़े वर्गों और संस्थाओं पर कोई रोक–टोक नहीं है। देश के संविधान और क़ानून को ताक़ पर रखकर ये अपनी अलग और राष्ट्रविरोधी विचारधारा के तहत यह समझते हैं कि भारत केवल हिन्दुओं का देश है। इस देश में किसी और धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमान पाकिस्तान की शक्ल में अपना हिस्सा ले चुका है। हां! अब यदि वह भारत में रहना चाहता है तो उन्हें अपने धार्मिक रीति–रिवाजों को छोड़ना होगा एवं हिन्दु रीति–रिवाजों को अपनाना होगा। इसके बाद ही उन्हें देश के दूसरे श्रेणी के नागरिक बनकर रहने की आज्ञा दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 403 विधानसभाओं में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देकर जहां एक ओर मुसलमानों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि उसे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं दूसरी ओर यह सफल अनुभव भी कर लिया कि देश का एक विशेष वर्ग उसके दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अतः अब यदि वे पूर्णरूप से हिन्दुत्ववादी विचारधारा पर अमल करते हुए इस देश को हिन्दु राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े तो उन्हें सफलता मिल सकती है। शायद यही सारी चीज़ें ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के आदेश पर योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुखिया बनाया है, जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए विशेषतयः अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम विरोधी कार्यवाहियों के लिए दुनिया भर में ''शोहरत'' रखते हैं। किसी जनसभा का प्लेटफ़ार्म हो या संसद, उन्होंने जब भी ज़बान खोली है, मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया है। गोरखपुर पीठ के अध्यक्ष और पांच बार गोरखपुर से सांसद बनने वाले योगी ने अपनी हैसियत का अनुचित प्रयोग करते हुए शहर के उन सभी मुहल्लों व बाज़ारों का नाम बदल डाला है जो मुस्लिम नामों से जाने जाते थे, यह मुहल्ले व बाज़ार अब हिन्दु नामों से जाने जाते हैं। उनकी ताक़त, असर व उनके रसूख के कारण गोरखपुर के कई मुहल्ले और बाज़ारों को हिन्दु नाम अपनाना पड़ा। मियां बाज़ार को माया बाज़ार, उर्दू बाज़ार को हिन्दी बाज़ार तथा अली नगर को आर्य नगर बनना पड़ा। योगी आदित्यनाथ हिन्दु युवा वाहिनी नामक एक निजी सेना भी रखते हैं जो विशेषतयः बख़रीद के समय बहुत सरगर्म हो जाती है। उनके कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में दनदनाते फिरते हैं और कुर्बानी के जानवरों को ज़ब्त करना उन दिनों उनकी एकमात्र व्यस्तता बन जाती है। योगी के एक क़रीबी साथी गर्व से कहते हैं कि 'उस क्षेत्र में उनका दबदबा है, मजाल है कोई मुसलमान लड़का किसी हिन्दु लड़की को छेड़ दे यहां।'

''लव जिहाद'' नामक शब्द हिन्दुत्ववादी ताक़तों ने गढ़ा है जिसके तहत मुस्लिम नवजवानों पर आरोप है कि वे हिन्दु लड़कियों को मुहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और उन्हें मुसलमान बना लेते हैं। इस विषय पर अपने एक उत्तेजित करने वाले बयान में योगी ने हिन्दुओं से अपील की थी कि वे एक हिन्दु लड़की के बदले 100 मुस्लिम लड़कियों को हिन्दु बनाएं। इसी प्रकार शुद्धिकरण मुहिम के अन्तर्गत योगी जी उन सैंकड़ों ईसाईयों को वापस हिन्दु धर्म में ला चुके हैं जिन्हें मिशनरियों ने लालच देकर ईसाई बना डाला था। उन्हीं विशेषताओं के चलते योगी आदित्यनाथ कट्टर हिन्दुत्व के पोस्टर ब्वाय बन गए और आरएसएस के फ़रमान पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जिन्होंने स्वयं भी चुनाव के दौरान अपने भाषणों के द्वारा हिन्दुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काकर हिन्दु वोटरों का ध्रुवीकरण करके उसका ख़ूब राजनीतिक लाभ उठाया। योगी को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि उनकी मुसलमानों से सख़्त नफ़रत के आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की जा सके। योगी अब मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरे राज्य में अपनी वह ताक़त दिखा रहे हैं जिसके लिए वे 'प्रसिद्ध' हैं।

जुमा के कुछ आदेश

मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी

जुमा सही होने की शर्तें 1. बड़ी आबादी होना यानि या तो शहर या क़स्बा हो, या बड़ा गांव हो, जिसकी आबादी (हिन्दु–मुस्लिम मिलाकर) तीन हज़ार से कम न हो। (शामी)

यही आदेश शहर के आस–पास का होता है। इसीलिए वहां भी जुमा क़ायम करना ठीक है और फ़ना–ए–शहर (शहर के किनारे) से मुराद बस्ती के आस–पास की वे जगहे हैं, जिनमें बस्ती की ज़रूरतें जुड़ी हुई हों, जैसे क़ब्रिस्तान, खेल ग्राउन्ड और रेलवे स्टेशन इत्यादि। इसकी दूरी के बारे में अलग–अलग कथन हैं, लेकिन सही कथन यह है कि फ़ना–ए–शहर का क्षेत्रफल शहर के छोटे–बड़े होने के एतबार से अलग–अलग हो सकता है। (शामी)

इस शर्त से साफ़ हो गया कि अगर आबादी से दूरी किसी मैदान या जंगल इत्यादि में कोई भीड़ मौजूद हो तो जुमे की नमाज़ क़ायम नहीं की जा सकती है। वे ज़ुहर पढ़े, इसी तरह अगर छोटा गांव है, जिसकी आबादी तीन हज़ार से भी कम है तो वहां भी जुमा क़ायम नहीं किया जा सकता है। (शामी)

अलबत्ता अगर किसी छोटी बस्ती में पुराने ज़माने से जुमा क़ायम है तो वहां सिलसिला जारी रखना चाहिए। इसलिए कि पुराने जुमा को बन्द करने से झगड़ा होगा और उम्मत को झगड़े से बचाना ज़रूरी है लेकिन जब इस तरह की बस्तियों में जुमा पढ़ाया जाए तो इहतियात इसमें है कि जुमा के बाद एहतियात के तौर पर चार रकआत ज़ुहर की पढ़ ले। लेकिन उसका पढ़ना वाजिब नहीं है। सही कथन के मुताबिक़ मुस्तहब (सवाब) है। लिहाज़ा न भी पढ़े तो भी जुमा हो जाएगा। (शामी)

2. हाकिम या उसके नायब का होनाः इसलिए अगर इस्लामी हुकूमत हो तो जुमा की नमाज़ क़ायम करने के लिए हुकूमत की इजाज़त होना ज़रूरी है। ग़ैर मुस्लिम हुकूमतों में चूंकि हुकूमत की तरफ़ से इजाज़त रहती है, और मुसलमान इस तरह के मामलों का इन्तिज़ाम खुद संभाल लेते हैं, लिहाज़ा वहां भी जुमा क़ायम करना दुरुस्त है।

3. ज़ुहर का वक़्त होनाः चुनान्चे जब तक ज़ुहर का वक़्त न शुरू हो जाए जुमा पढ़ना ठीक नहीं है। इसी तरह अगर जुमा पढ़ते हुए अस्र का वक़्त हो जाए तो जुमा की नमाज़ बातिल हो जाएगी। और ज़ुहर की क़ज़ा करनी पड़ेगी। (शामी)

अलबत्ता जुमा की नमाज़ के लिए एक ख़ास हुक्म यह है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो हमेशा उसको अव्वल वक़्त में पढ़ना अफ़ज़ल है। जबकि ज़ुहर की नमाज़ को गर्मियों में देर से पढ़ना अफ़ज़ल है। इसकी वजह यह है कि जुमा में भीड़ रहा करती है, तो देर में पढ़ने से हर्ज हो सकता है। (शामी)

ख़ुत्बा देना, इसीलिए अगर जुमा की नमाज़ ख़ुत्बे के बिना पढ़ी जाए, या ख़ुत्बा ज़ुहर के वक़्त से पहले दिया जाए तो जुमा सही नहीं होगा। (शामी)

ख़ुत्ब–ए–जुमा के फ़राएज़ः

जुमा के ख़ुत्बे के लिए दो चीज़ें फ़र्ज़ हैः 1. ख़ुत्बे के वक़्त के अन्दर और जुमा की नमाज़ के पहले देना। 2. मिक़दार वाजिब के बराबर ख़ुत्बा देना, इमाम अबूहनीफ़ा (रह0) के नज़दीक अगर एक बार "सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर" कह लिया जाए तो कराहत के साथ जाएज़ होगा। तीन क़ुरानी आयात के बराबर ख़ुत्बा दिया जाए तो कराहत नहीं होगी। लेकिन साहिबैन के नज़दीक ज़िक्र तवील होना ज़रूरी है। जिसकी कम से कम मिक़दार यह है कि तश्हद्द के बराबर है। (शामी)

ख़ुत्बे की सुन्नतेंः जुमे के ख़ुत्बे में पन्द्रह चीज़ें मसनून हैंः

1. ख़ुत्बा तहारत के साथ देना, इसीलिए अजनबी और बेवुज़ू शख़्स के लिए ख़ुत्बा देना मकरूह है।
2. ख़ुत्बा खड़े होकर देना, बिला उज़्र बैठकर ख़ुत्बा दिया तो हो जाएगा लेकिन ऐसा करना मकरूह है।
3. लोगों की तरफ़ रुख़ करके ख़ुत्बा देना, न कि क़िब्ला रौ होकर।
4. ख़ुत्बे से पहले आहिस्ता से अऊज़बिल्लाह पढ़ना।
5. ख़ुत्बे इतनी ज़ोर से देना कि लोग सुन सके, अगरचे आहिस्ता से भी दिया तब भी मान लिया जाएगा, लेकिन ख़िलाफ़–ए–सुन्नत होगा।
6. ख़ुत्बे को हम्द से शुरू करना।
7. फिर अल्लाह तआला की सनाख़्वानी करना।
8. कलिमा शहादत पढ़ना।
9. दरूद शरीफ़ पढ़ना।

10. लोगों को वाज़ व नसीहत करना।

11. कुरआन करीम की कोई आयत पढ़ना।

12. दो खुत्बे देना और दोनों के दरमियान बैठना।

13. दूसरे खुत्बे में दो बार हम्द व सना और दरूद शरीफ़ पढ़ना।

14. खुल्फ़ाए राशिदीन, रसूलुल्लाह (स0अ0) के चचा हज़रत अब्बास व हज़रत हमज़ा और तमाम असहाब–ए–किराम और सभी मुसलमानों के लिए दुआ करना।

15. खुत्बे को ज़्यादा लम्बा न करना, बेहतर यह है कि खुत्बा तवाल मुफ़स्सल की सूरतों से बढ़ने न पाए, वरना कराहत होगी।

खुत्बे से पहले वाली अज़ान:

खुत्बे की अज़ान यानि जुमे की अज़ान–ए–सानी, ख़तीब के सामने मस्जिद के अन्दर कही जाएगी। यही अमल दौरे उस्मानी से उम्मत में चलन में है। (शामी/हिन्दिया)

खुत्बे की अज़ान का जवाब सिर्फ़ दिल ही दिल में देने का हुक्म है। ज़बान से अज़ान के कलिमे न दोहराए जाएं, इसलिए कि ख़तीब के मेम्बर पर आने के बाद ज़बान से ज़िक्र–अज़कार करना मना है। यहां तक कि हुक्म यह है कि खुत्बे के दौरान छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल ही दिल में कहे। और अगर कोई सलाम करे या किसी को छींक आ जाए तो सुनने वाले पर जवाब देना वाजिब नहीं है। (हिन्दिया)

खुत्बे के दौरान ख़तीब के लिए कोई भी बात करना मना है। अलबत्ता अम्र बिन मारूफ़ और नहीं अनिन मुनकर कर सकता है। लिहाज़ा अगर किसी बात पर रोक–टोक करनी है तो बेहतर यही होगा कि उन्हें इशारे से रोका जाए। आम तौर पर मस्जिदों में बच्चे जब शरारत करते हैं तो बहुत से लोग उनको तेज़ आवाज़ से डांटने लगते हैं और बच्चों के बोलने से ज़्यादा उनके डांटने से शोर व हंगामा मच जाता है। तो उससे परहेज़ करना चाहिए।

खुत्बे के दौरान चूंकि ज़िक्र व अज़कार की मनाही है लिहाज़ा रसूलुल्लाह स0अ0 का नाम आने पर दरूद शरीफ़ भी दिल ही दिल में पढ़े, ज़बान से न पढ़े।

5. पांचवी शर्त यह है कि खुत्बा नमाज़ से पहले इतने लोगों की मौजूदगी में दिया जाए जिनसे जुमा सही हो जाता है, यानि कम से कम तीन लोगों की मौजूदगी में खुत्बा दिया जाए। बहुत सी रिवायतों में है कि जुमे की नमाज़ के लिए यह शर्त है लेकिन खुत्बे के लिए नहीं। (शामी)

6. छठी शर्त यह है कि इमाम के अलावा कम से कम तीन मर्द और मौजूद हों, चाहे ये वही लोग हों जो खुत्बे के वक़्त मौजूद थे या दूसरे हों जो खुत्बे के वक़्त मौजूद थे या दूसरे हों, चुनान्चे अगर इमाम के अलावा सिफ़ दो ही मर्द हों, चाहे नाबालिग़ औरतों बच्चे हों तो जुमा नहीं क़ायम हो सकता है। (शामी)

7. सातवीं शर्त यह है कि जहां जुमा क़ायम किया जा रहा है, वहां अज़ान आम हो, इसलिए अगर किसी क़िले के अन्दर जुमा क़ायम किया जा रहा है और क़िले का दरवाज़ा बन्द करके बाहर वालों को अन्दर आने से रोक दिया जाए तो जुमा सही नहीं होगा, लेकिन दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जुमा सही हो जाएगा। (शामी)

जेल और एयरपोर्ट पर जुमा

अगर जेल या एयरपोर्ट पर मस्जिद या जमाअत ख़ाना बना हुआ है तो वहां बज़ाहिर अज़ान आम नहीं होता, इसलिए जुमा सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुहक़्क़िक़ीन उलमा की राय यह है कि इन दोनों जगहों पर जुमा क़ायम करना ठीक है। इसलिए कि वहां आने जाने की मनाही हिफ़ाज़त की ग़रज़ से है, नमाज़ियों को रोकने की ग़रज़ से नहीं है।

जुमा किस पर फ़र्ज़ है

जुमा उस शख़्स पर फ़र्ज़ है जिसमें निम्नलिखित नौ शर्तें पायी जाएं:

1– बड़ी बस्ती में मुक़ीम हो (उसकी तफ़सील आ चुकी है)

2– तन्दरुस्त और सेहतमन्द हो, इसलिए बहुत बूढ़े और बीमार शख़्स पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। जिनके लिए जुमे में शिरकत करना दुश्वार बल्कि मरीज़ की देखभाल करने वाला कोई एक ही हो और उसके जाने से मरीज़ को दिक़्क़त हो सकती है तो उसकी देखभाल करने वाले शख़्सपर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं होगा। यह लोग जुहर की नमाज़ पढ़ेंगे।

3– आज़ाद हो, गुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है।

4– मर्द हो, औरत पर जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है।

5– आक़िल–बालिग़ हो, पागल और बच्चे पर दूसरे फ़र्ज़ की तरह जुमा भी फ़र्ज़ नहीं है।

6– बीना हो, नाबीना पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। इसके बरख़िलाफ़ कमज़ोर निगाह वालों और एक आंख वालों पर जुमा फ़र्ज़ है।

7– चलने पर क़ुदरत हो, चलने से माजूर शख़्स पर जुमा नहीं है। (शेष–16 पर)

साम्प्रदायिकता का सनसनीखेज़ सर्वे

डॉक्टर अब्दुरक़ादिर शम्स

तेज़ रफ़्तार से उन्नति करने वाला भारत अब तक विकसित देशों की सूची में क्यों नहीं शामिल हो सका इसका सबसे बड़ा कारण कुछ लोग निरक्षरता को मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य की बदहाली ने इस देश को आगे बढ़ने से रोक रखा है। कुछ लोग ग़रीबी को क़ुसूरवार मानते हैं तो कुछ लोग इसका ठीकरा प्राकृतिक आपदाओं पर फोड़ते नज़र आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इस देश के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। लेकिन एक बहुत बड़ा समूह अपने देश के विकास की राह में भ्रष्टाचार और कालाबाज़ारी को सबसे बड़ी बाधा मानता है। लेकिन लेखक का स्वयं का मानना है कि देश के विकास की राह में साम्प्रदायिक जुनून नामक एक भूत खड़ा है जो सामने से तो नहीं दिखाई देता लेकिन वह घुन की तरह इस देश के तमाम सामाजिक रिश्तों के ताने–बाने को तबाह करने पर उतारू है। मेरे इस विचार का प्रमाण कुछ दिनों पहले सामने आयी ''सेन्टर फ़ॉर स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटी'' (Center for Study of Developing Society) 'CSDC' की रिपोर्ट से मिलता है। जिसमें साफ़ तौर पर यह बात सामने आयी है कि साम्प्रदायिकता की यह आग इस देश की गंगा–जमुनी सभ्यता को मिटाने पर तुली हुई है और यदि जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर यह आग ग़रीबों की झोपड़ियों को भी जलाएगी और अमीरों के महलों को भी।

''सोसाइटी एंड पॉलीटिक्स बिटवीन इलेक्शन'' (Society and Politics Between Election) नामक ताज़ा सर्वे ने पूरे देश के जागरुक और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को हिलाकर रख दिया है। 'CSDC' के तहत हुए इस सर्वे के अनुसार भारत में दोस्ती और दुश्मनी का स्तर धार्मिक आधार पर बनता जा रहा है। 'CSDC' के अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि लोग दोस्ती करते समय एक दूसरे के धर्म को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। इसमें हिन्दुओं की सोच बहुत ही तंग है जबकि मुसलमान कुछ खुले दिल के साबित हुए हैं। सर्वे के अनुसार दूसरे धर्मों के लोगों से दोस्ती करने के मामले में केवल 33% हिन्दु ही मुसलमानों को अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं जबकि 74% मुसलमान हिन्दुओं से दोस्ती करने के इच्छुक हैं। इस रिसर्च में यह बात भी सामने आयी है कि लोग अपने धर्म के लोगों से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं। 'CSDC' ने बिन्दुओं को सामने रखकर जो परिणाम निकाले हैं उनके अनुसार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा में स्थिति और ख़राब है क्योंकि उन राज्यों में धार्मिक आधार पर अत्यधिक दूरियां महसूस की गई हैं तथा गंगा–जमुनी सभ्यता के जुमले और उस पर आधारित संबंध यहां समाप्त होते नज़र आ रहे हैं। सर्वे में इस बात को भी महसूस किया गया है कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है जिसके कारण वे आबादी के अनुसार केन्द्रित हो गए हैं। इस प्रकार के इस भिन्न अध्ययन के धर्म के आधार पर देशप्रेम को भी नापने का प्रयास किया गया है। इसी कारणवश देश भर में केवल 13% हिन्दु ऐसे हैं जो मुसलमानों को सच्चा देशप्रेमी मानते हैं। जबकि 20% हिन्दु, ईसाईयों को और 47% सिक्खों को देशप्रेमी समझते हैं। इस अध्ययन में यह दिलचस्प बात सामने आयी है कि मुसलमानों के प्रति हिन्दुओं से अधिक संतुलित व्यवहार ईसाईयों का है। जबकि 26% ईसाई मुसलमानों को सच्चा देशप्रेमी समझते हैं। इस रिपोर्ट में यह ज़ाहिर किया गया है कि 66% सिक्ख हिन्दुओं को देशप्रेमी समझता है। इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि ख़ुद को कौन कितना देशप्रेमी समझता है। इसके अनुसार 77% मुसलमान स्वयं को राष्ट्रप्रेमी होने का दावा करते हैं। रिसर्च में बहुत से प्रश्न पूछे गये थे ताकि विभिन्न रूझानों को प्राप्त किया जा सके। अतः यह भी पूछा गया था कि गौहत्या पर क्या सज़ा मिलनी चाहिए, राष्ट्रगान पर खड़े होने वाले, वन्देमातरम गाने से परहेज़ करने वाले या गोश्त खाने वाले लोगों के साथ सरकार का क्या बर्ताव होना चाहिए? ऐसे विभिन्न प्रकार के सवालों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक परिणाम निकालने की इस रिपोर्ट में कोशिश की गई है। लगभग 72% लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही कठोर व हिंसक थी जबकि उनमें 17% लोगों को कम संतुलन पसंद घोषित किया जा सकता है और केवल 6% लोगों को संतुलित कहा जा सकता है।

सवाल यह पैदा होता है कि जिस देश की मिट्टी में विभिन्न समुदायों के मध्य आपसी मेल–मिलाप रचा–बसा

था, उसे आख़िर किसकी नज़र लग गई कि हालात इतने बिगड़ गये। आख़िर ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि किसी हिन्दु को देखकर मुसलमान आपस में सरगर्शियां करने लगती हैं और किसी मुसलमान को देखकर हिन्दु का रवैया अचानक बदल जाता है। आख़िर वह दौर कहां चला गया जब मन्दिर के प्याऊ से मुसलमान पानी पीते थे और मस्जिद के बाहर हिन्दु औरतें पंक्तिबद्ध खड़ी रहती थीं तथा अपने बच्चों की सेहत व तन्दरुस्ती के लिए दुआएं करवाती थीं। हिन्दु–मुस्लिम एक दूसरे के प्रोग्रामों में किस तरह घुलमिल कर खुशियां बांटते थे, वे मन्ज़र कहां ग़ाएब हो गए। यदि हम जायज़ा लें तो अन्दाज़ा होता है कि कुछ राजनेताओं ने वोटों के धुव्रीकरण के लिए सैंकड़ो साल के प्रेम–मुहब्बत को तबाह–बर्बाद कर दिया और इस कार्य में सभी राजनीतिक पार्टियां समान रूप से ज़िम्मेदार हैं। इसी प्रकार साम्प्रदायिक दंगों ने भी दोनों वर्गों में दूरियां पैदा कीं। दंगे कांग्रेस के समय में भी हुए लेकिन गुजरात दंगों ने साम्प्रदायिकता का एक नया इतिहास लिख दिया तथा तब से यह दूरियां मिटने का नाम नहीं ले रही हैं।

यदि हम वोटों की राजनीति पर विचार करें तो अंदाज़ा होता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत ही तकनीकी रूप से वोटरों का धुव्रीकरण किया था। उन्होंने फ़ैज़ाबाद जाकर न केवल रामराज्य की बात की बल्कि राममन्दिर का मॉडल दिखाकर यह संदेश भी दिया कि यदि उन्हें सत्ता दी गई तो वे अवश्य भव्य राम मन्दिर का निर्माण कराएंगे। वे जब बिहार गए तो उन्होंने वहां ''पिंक रिव्यूलूशन'' की बात की और स्पष्ट रूप से गोश्त खाने वालों और उसका व्यापार करने वालों को चैलेंज भी किया और इशारों–इशारों में गौहत्या की बात भी उछाल दी। इसी तरह जब वे आसाम गए तो वहां उन्होंने ''बोडोलैन्ड'' के समर्थकों की पीठ थपथपाई और बंग्लादेशी घुसपैठ की बात उठाकर हिन्दु व मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक लकीर खींच दी। नरेन्द्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान भी सोच–समझकर किया क्योंकि हिन्दु आस्था के इस केन्द्र से वे पूरे भारत में अत्यधिक ख़ामोशी से साम्प्रदायिकता एवं हिन्दुत्व का संदेश देना चाहते थे। उन्होंने काशी जाकर कहा कि 'मुझे न किसी ने भेजा है और न मैं स्वयं आया हूं बल्कि मुझे तो 'गंगा मैय्या' ने बुलाया है।' इसी प्रकार उन्होंने 'हर–हर मोदी, घर–घर मोदी' के नारे लगवाए जिनका स्पष्ट उद्देश्य यही था कि वे वोटरों का साम्प्रदायिक धुव्रीकरण करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि वोट के लिए इस तरह के प्रयास दो सम्प्रदायों के मध्य दूरियां ही पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटरों के साम्प्रदायिक धुव्रीकरण के लिए केवल नरेन्द्र मोदी ही प्रयासरत हैं बल्कि इस काम में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी कुछ कम नहीं हैं। उन्होंने ने भी कभी धर्म के नाम पर तो कहीं जात–बिरादरी के नाम पर वोटरों का धुव्रीकरण किया है।

सैंकड़ो साल की भारतीय सभ्यता व संस्कृति का इतिहास में कभी यह स्थिति देखने को नहीं मिली जिनसे आज का भारत दो–चार है। इस देश में शहंशाहों, राजे–रजवाड़ो और विभिन्नत मत के शासकों का भी दौर आया और अंग्रेज़ो की सत्ता का भी सूर्योदय हुआ लेकिन साम्प्रदायिकता को कभी इतना बढ़ावा नहीं मिला जितना आज के ज़माने में नज़र आ रहा है।

कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता साधारणतयः किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच उभरती है और इसका कारण भी होता है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को हरमा नसीबी, अन्याय, असुरक्षा साम्प्रदायिकता के खोल में जाने को मजबूर करती हैं, लेकिन भारत में साम्प्रदायिकता बहुसंख्यकों की विशेषता बन गयी है और अब तो बहुसंख्यक समुदाय साम्प्रदायिकता और पक्षपात की गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगा रहा है। साम्प्रदायिकता न केवल चुनावी मैदानों तक सीमित है बल्कि अब तो हर मैदान में उसने अपनी जगह बना ली है। साम्प्रदायिकता का ज़हर आज जीवन के हर भाग में घुलता चला जा रहा है। शिक्षा हो या राजनीति, शासन–प्रशासन हर जगह साम्प्रदायिकता के स्पष्ट नमूने दिखाई देते रहते हैं। इसके बावजूद धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के लोगों की बड़ी संख्या है जिनके कारण यह देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सेक्यूलर सोच वाले लोगों के विचारों से हुकूमतें फ़ायदा उठाएं और देश में साम्प्रदायिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ–साथ सेक्यूलरिज़्म को बढ़ावा देने का काम तेज़ कर दें। वरना साम्प्रदायिक जुनूनी इस देश को ख़तरनाक मोड़ पर ले जाकर बेसहारा छोड़ देंगे।

(उर्दू सहारा के 08 अप्रैल के अंक में प्रकाशित)

फ़िलिस्तीन को
भारतीय हमदर्दी की आवश्यकता

प्रोफ़ेसर जनाब अख़्तरुल वासे

राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों का होना कोई अस्वाभाविक कार्य नहीं, यद्यपि इन झगड़ो का हल न होना और लगातार जारी रहना एक ऐसा कार्य अवश्य है जो दुनिया भर के अलमबरदारों और तथाकथित ठेकेदारों के दावों और इरादों पर सवालिया निशान लगाता रहता है। फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीनियों के साथ न्याय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए होने वाले प्रयासों पर भी सवालिया निगाहें कुछ इसी तरह उठती रहती हैं। ग़ौरतलब बात यह है कि पिछले लगभग 70 बरसों के दौरान फ़िलिस्तीनियों पर क्या कुछ न बीती?उन्हें उनके देश से महरूम कर दिया गया। उनकी ज़मीनों पर एक नाजायज़ रियासत स्थापित कर दी गयी, उनपर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे और उन्हें आस–पास के देशों में नहीं बल्कि स्वयं अपने देश में शरणार्थियों का जीवन जीने पर मजबूर किया जाता रहा। फ़िलिस्तीनी आज़ादी का आन्दोलन जो अपने शुरूआती दिनों में न्याय के लिए इतना आशावादी था कि वह इस्राईल नामक नाजाएज़ वजूद को मिटा देना चाहता था, वही फ़िलिस्तीनी आज़ादी का आन्दोलन बीसवीं सदी के आख़िरी दशक तक पहुचंते–पहुचंते खट्टे–मीठे अनुभवों की भट्टी में तपकर अलमियत पसंदी के इस दोराहे पर खड़ा है कि उसने उसूली तौर पर फ़िलिस्तीन व इस्राईल के संदर्भ में दो रियासती हल को स्वीकार कर लिया।

फ़िलिस्तीनी नेतृत्व के इस अमलियत पसंद फ़ैसले के बाद दुनिया के दुनिया के शांतिप्रिय वर्गों में यह उम्मीद की जा रही थी कि उपरोक्म दो राज्यों के हल के बाद इस्राईल–फ़िलिस्तीन झगड़ा बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और फ़िलिस्तीन और इस्राईल दो स्वतन्त्र राज्यों के तौर पर साथ–साथ आगे बढ़ेगें। ओसलो संधि के पच्चीस बरस हो गए। इस दौरान यासिर अरफ़ात, इस्हाक़ रॉबिन, शमऊन पैरीज़ को शांति के नोबल पुरुस्कार से भी नवाज़ा गया लेकिन शांति स्थापना का जो उद्देश्य सामने था वह हुनूज़ दौर है। हां इस दौरान उन संभावनाओं को और बल अवश्य मिलता रहा जिनके तहत यह कहा गया था कि इस्राईल और उसके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने शांति वार्ता का डोल इसलिए डाला है कि फ़िलिस्तीनी तहरीक इन्तक़ाज़ह के द्वारा फ़िलिस्तीन के काज़ को जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो रही है उसे हाशिये पर लाने और एक कट्टरवादी आंदोलन का नाम देने के लिए समय प्राप्त किया जाए। फ़िलिस्तीनियों का मीडिया की सुर्ख़ियों में रोज़ ही कहीं न कहीं ज़िक्र होता है। अभी कुछ दिनों पहले यह ख़बर आयी थी कि सयुंक्त राष्ट्र ने दिसम्बर 2016 के आख़िर में रक्षा समिति द्वारा स्वीकृत क़रारदार नम्बर 2334 पर अमल करने की वजह से इस्राईल की कड़ी निंदा की है। होना तो यह चाहिए था कि इस पर इस्राईल को शर्मिन्दगी होती या वह यदि ऐसा न करता तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस पर लगाम कसती, लेकिन ऐसा कुछ न होकर इसके विपरीत हुआ और इस्राईल की सिक्योरिटी काबीना ने पश्चिमी जार्डन के मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी इलाक़े में ढ़ाई हज़ार मकानों की एक नई यहूदी आबादी निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। 1990 ई0 की दहाई के बाद से ओसलो में ऐसा होता आ रहा है कि इस्राईल पश्चिमी येरूशलम और पश्चिमी जार्डन के क्षेत्र में पहले से मौजूद यहूदी आबादियों के साथ इज़ाफ़ी तौर पर नई यहूदी बस्तियां बसाता रहा है। पिछले 20 बरस से अधिक अर्से के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि इस्राईल ने अलग–अलग और मुकम्मल यहूदी बस्तियां बसाने का फ़ैसला किया हो। ग़ौर किया जाए तो इस फ़ैसले के पीछे बदलते हुए आएली हालात हैं ख़ास तौर पर अमरीका का नई सरकार।

ऐसा लगता है कि बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय हालात में जबकि दाएं बाज़ू के चरमपन्थी संगठनों और लोगों यूरोप और अमरीका में ख्याति प्राप्त हो रही है। इस्राईल मजूज़ा दो राज्यों के हल से ख़ुद को अलग कर रहा है। ध्यान रहे

कि मजूज़ा दो रियासती हल अमरीका का दिया हुआ है और 1992 के बाद से फ़िलिस्तीन के दो रियासती हल को सरकार की विदेश नीति में महत्व प्राप्त रहा है और फ़िलिस्तीन पर काम करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार फ़िलिस्तीन में शांति स्थापना और दो रियासती हल में सबसे बड़ी रुकावट इस्राईल की ओर से क़ब्ज़ा किये गये क्षेत्रों में नई यहूदी बस्तियों का निर्माण रहा है। शायद यही कारण है कि सयुंक्त राष्ट्र की सलामती कौन्सिल की उपरोक्त क़रारदाद नम्बर 2334 को अमरीका की पूर्व ओबामा सरकार ने वीटो करने के बजाए मतदान में अनुपस्थित रहकर 1–14 से स्वीकृत होने दिया था। यह मालूम हक़ीक़त है कि सयुंक्त राष्ट्र की सलामती कौन्सिल में 1972 के बाद सबसे ज़्यादा वीटो का इस्तेमाल अमरीका ने किया है और उनमें से अधिकतर इस्राईल के ख़िलाफ़ क़रारदादों को रोकने में किया है।

आलमी मामलात में अमरीका के किरदार से हम वाक़िफ़ हैं। फ़िलिस्तीन का मामला इसलिए नहीं हल हो रहा है कि इस्राईल की फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कार्यवाहियों को अमरीकी सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। भूतपूर्व ओबामा सरकार ने अपने आख़िरी दौर में इस्राईल से कुछ दूरी बनाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वे इसमें इसलिए नहीं सफल हो सके कि जब तक उसके प्रभाव प्रकट होते अमरीका में उसके मुक़ाबले ज़्यादा इस्राईल नवाज़ ट्रम्प सरकार ने उसकी जगह ले ली। अमरीका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न केवल यह कि इस्राईल नवाज़ हैं बल्कि वे यह भी ज़रूरी नहीं समझते कि फ़िलिस्तीनी मसले का हल दो रियासती फ़ार्मूला हो सकता है। इस तरह वे खुलेआम येरूशलम को इस्राईल की राजधानी बनाए जाने का समर्थन भी करते रहे हैं। मक़बूज़ा फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में नई यहूदी बस्तियों के बसाए जाने के हवाले से भी उनका मौक़िफ़ इस्राईल दोस्त है। उन इलाक़ों के पेशनज़र यह बात कही जा सकती है कि फ़िलिस्तीन का मामला एक बार फिर कई दशक पीछे जा चुका है। जिसमें इस्राईल अपने समर्थकों के साथ लगभग उसी मज़बूती से खड़ा हुआ है। अलबत्ता इस मरहले में फ़िलिस्तीनियों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। जिनके सहारे फ़िलिस्तीनी क़यादत ने दो रियासती हल को तस्लीम करने का सख़्त फ़ैसला लिया था, अब वही उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। ऐसे में एक बार फिर फ़िलिस्तीन में हिंसा और चरमपंथ को हवा मिल सकती है। दुनिया की शांति के लिए प्रयासरत सभी ताक़तों, संस्था व संगठन को चाहिए कि वे इस्राईल को इस अड़ियल रवैये से रोके रखने के लिए न केवल यह कि उसके कार्यों की निंदा करें बल्कि उसके ख़िलाफ़ विभिन्न प्रकार की पाबन्दियां लगाकर माकूल सरज़निश भी करें। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि आलमी अमन का हुसूल उस वक़्त तक नामुमकिन है, जब तक कि मश्रिकी वुस्ता में अमन क़ायम नहीं होता और मश्रिकी वुस्ता में अमन उस वक़्त तक नहीं क़ायम हो सकता जब तक कि फ़िलिस्तीनियों को इन्साफ़ नहीं मिल जाता।

भारत जो एक ज़माने में नावबस्ता देशों का रूहेरवां हुआ करता था और इस प्लेटफ़ार्म से वह पीड़ितों को न्याय दिलाने में और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने की इस मुहिम में नेतृत्व करता रहा है, एक ऐसी दुनिया में जहां उसकी अहमियत महसूस की जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत अपने पक्ष और किरदार से पीछे हट गया है और फ़िलिस्तीनियों के प्रति उसकी हमदर्दी ख़त्म होती लग रही है। और इस्राईल से उसके संबंध निकट हो रहे हैं जो दुनिया के बहुत से न्यायप्रिय देशों की नापसंदी का कारण बन रहा है। भारत को चाहिए कि वह स्वयं को किसी ख़ास इत्तेहाद या देश की झोली में डालने के बजाए फ़िलिस्तीनी आंदोलन के साथ खुद को खड़ा रखे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश में विश्वास रखती है और जो अहिंसा द्वारा फ़िलिस्तीनियों को उनका अधिकार दिलाना चाहती है।

शेषः जुमा की फ़ज़ीलत और .....

8– क़ैदी न हो, इसलिए कि क़ैदी पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह गिरफ़तारी के डर से छिपा हुआ है या पुलिस या चोर डाकू वग़ैरह का डर है , तो उस पर जुम फ़र्ज़ नही है।

9– तूफ़ानी बारिश और कीचड़ न हो, सख़्त तूफ़ानी बारिश हो तो जुमा तर्क करने की रुख़्सत हो जाती है।

जुमे के दिन नमाज़ से पहले ग़ैर माज़ूर अफ़राद के लिए जुहर पढ़ना हराम है। लेकिन अगर कोई मजाूर है तो उसके लिए हराम नहीं है, अलबता मुस्तहब हियह कि जुहर की नमाज़ जुमा की नमाज़ हो जाने के बाद पढ़े।

रोज़े की कुछ अनिवार्यताएं एवं मसले

सहरी व नियत

रोज़े चाहे रमज़ान का हो चाहे किसी और चीज़ का। बहरहाल उनके लिये सहरी खाना सुन्नत है। रोज़े की शुरूआत सुबह–ए–सादिक (प्रातः काल का समय) के उदय होने से होती है और ये सूरज डूबने पर ख़त्म होता है। इसलिये शरीअत ने यह सहूलत दे रखी है कि रोज़ेदार सुबह होने से पहले सहरी खा ले ताकि रोज़े में ताक़त बहाल रहे। अलग–अलग हदीसों में आप स0अ0 ने इसका शौक़ दिलाया है। इसीलिये सहरी में सवाब होने पर उम्मत एकमत है। सहरी उतनी देर तक खायी जा सकती है कि सुबह होने की शंका न हो, रात के बचे होने का भी शक न हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह स0अ0 के साथ सहरी करते थे तो सहरी और फ़ज्र की अज़ान के बीच पचास आयत की तिलावत के बराबर का अन्तर होता था। आम तौर इतना कुरआन पांच–छः मिनट में पढ़ा जाता है।

अगर इस ख़्याल से सहरी खाई कि अभी सुबह नहीं हुई है हालांकि सुबह हो चुकी थी तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब (अनिवार्य) होगी, कफ़्फ़ारा वाजिब (अनिवार्य) नहीं होगा, अगर शक हो कि शायद फ़ज्र का वक़्त हो गया तो बेहतर है कि खाना–पीना छोड़ दे फिर भी अगर खा ले और सुबह होने का यक़ीन न हो तो उसका रोज़ा हो जायेगा।

इसीलिये आप स0अ0 का इरशाद है: "सहरी खाओ सहरी में बरकत है।" (बुख़ारी 1923)

एक दूसरी हदीस में आप स0अ0 ने फ़रमाया: "हमारे और अहले किताब (यहूदी, इसाई इत्यादि) के रोज़ों में अन्तर और श्रेष्ठता सहरी खाने की है (हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं)।" (मुस्लिम 2550)

रही नियत तो इसके बग़ैर रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये अगर एक व्यक्ति सुबह से शाम तक उन सभी चीज़ों से परहेज़ करे जिनसे रोज़ादार परहेज़ करता है लेकिन उसकी नियत रोज़ा रखने की न हो तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये आप स0अ0 का इरशाद है: "जो फ़ज्र से पहले ही नियत न करे उसका रोज़ा नहीं होगा।"

(तिरमिज़ी 730)

कई दूसरी हदीसों को देखते हुए फ़ुक़्हा (धार्मिक विद्वान) ने फ़रमाया कि ज़वाल (अर्थात सूर्य का सर के ठीक ऊपर होना) से एक घन्टा पहले नियत कर ले किन्तु शर्त यह है कि कुछ खाया–पिया न हो तो रमज़ान का और नफ़िली रोज़ा रखना दुरूस्त होगा और नियत का केन्द्र क्योंकि दिल होता है इसलिये सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लेना काफ़ी है कि कौन सा रोज़ा रख रहा हूं ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं यद्यपि बेहतर यही है कि ज़बान से भी कह दे। (हिन्दिया 1/195)

जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

भूल कर खाने–पीने, सर में तेल लगाने और नहाने–धोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर दिन में सो जाये और एहतलाम (वीर्य स्खलित होना) हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दिन में इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन बेहतर यही है कि अगर बहुत सख़्त ज़रूरत न हो तो इफ़्तार के बाद इन्जेक्शन लगवाये। मिस्वाक चाहे ताज़ी या हरी हो या ख़ुश्क़ और सूखी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है यद्यपि मन्जन इत्यादि करना मकरूह है और अगर मन्जन हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखकर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटता, यद्यपि अनावश्यक ऐसा करना मकरूह है।

रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा किसी वजह से टूट जाए तब भी उस पर अनिवार्य है कि रामज़ान के सम्मान में रोज़ेदार की तरह खाने–पीने से परहेज़ करे।

क़ज़ा व कफ़्फ़ारा वाजिब होने की सूरतें

रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। कई वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं, और वो चीज़ें ये हैं:

पति–पत्नी का संबंध स्थापित करना, चाहे स्खलित (वीर्य निकलना) हो या न हो दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा और कफ़्फ़ारा ज़रूरी होगा। अगर ये काम औरत की रज़ामन्दी से हुआ तो उस पर भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर उसकी रज़ामन्दी नहीं थी, पति ने ये काम ज़बरदस्ती से किया तो औरत पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, अगर शुरूआत में इसे मजबूर किय गया हो और बाद में उसकी रज़ामन्दी हो गयी हो तब भी उस पर केवल

कज़ा ज़रूरी होगी।

जानबूझ कर ऐसी चीज़ खाना जिसको खाने के तौर पर और दवा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोटी, चावल, शरबत वग़ैरह या किसी दवा का इस्तेमाल करना।

इसके उल्टे अगर भूले से यह कर दे तो रोज़ा नहीं टूटेगा और कोई ऐसी चीज़ खाये जिसे खाने या दवा के तौर पर नहीं खाया जाता तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होगी कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं होगा, जैसे कोई कंकड़ी या लोहे का टुकड़ा खा ले।

इन चीज़ों से कफ़्फ़ारा वाजिब होने का ज़िक्र इशारे के साथ या खुले तौर पर हज़रत अबूहुरैरा रज़ि0 की इस हदीस में आया है। कहते हैं कि हम सब आप स0अ0 के पास बैठे हुए थे कि एक बद्दू ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तबाह हो गया। आप स0अ0 ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में पत्नी से संबंध स्थापित कर लिया, आप स0अ0 ने पूछा, क्या आज़ाद करने के लिये तुम्हारे पास ग़ुलाम है? उसने कहा, नहीं; आप स0अ0 ने फ़रमाया, तो क्या दो महीने लगातार रोज़ा रखते हो?उसने कहा, नहीं; आप स0अ0 ने फ़रमाया इतना माल है कि साठ ग़रीबों को खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। (बुख़ारी 1936– मुस्लिम 2595)

इससे पता चला कि संबंध स्थापित कर लेने से क़ज़ा व कफ़्फ़ारा दोनों ज़रूरी होंगे और इस बात की ओर इशारा भी मिला कि चूंकि खाना–पीना भी इसी दर्जे (श्रेणी) में है अतः इसका भी यही आदेश होगा। साथ ही कफ़्फ़ारे का तरीक़ा भी मालूम हुआ कि पहले नम्बर पर ग़ुलाम आज़ाद करना है, न कर सके जैसा कि वर्तमान समय में ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो जाने के कारण किसी के लिये भी ये शक्ल सम्भव नहीं, तो दो महीने लगातार रोज़े रखे, अगर इन दो महीनों के बीच रमज़ान आ गया तो या अय्याम तश्रीक () आ गये तो क्रम टूट जायेगा और शुरूआत से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक़्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास (प्रस्व रक्त) की हालत में हो जाये, क्रम उससे भी टूट जायेगा। यद्यपि अगर बीच में औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, फिर जब हैज़ रुक जाये तो जितने रोज़े बाक़ी रह गये थे सिर्फ़ वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

अगर किसी को खाने पर जान व माल की धमकी देकर मजबूर किया गया, और उसने ख़ौफ़ (भय) से खा लिया तो रोज़ा टूट जायेगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होगी। यही हुक्म उस समय होगा जब ग़लती से कुछ खा–पी ले, यानि रोज़ा याद था, खाने–पीने का इरादा नहीं था लेकिन खाने–पीने की चीज़ हलक़ से उतर गयी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जायेगा और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी।

अगर कोई ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको बतौर दवा या ग़िज़ा नहीं खाया–पिया जाता है जैसे कन्करी वग़ैरह।

दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई थी, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी तो उसके निगलने से रोज़ा टूट जायेगा और क़ज़ा होगी और अगर चने से छोटी थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन ये उस वक़्त होगा जब मुंह से न निकाला हो अगर निकाल कर खाये तो चीज़ छोटी हो या बड़ी रोज़ा टूट जायेगा।

अगर हक़्ना (पचना) लगाया या नाक के अन्दरूनी हिस्से में दवा डाली या कान में तेल या कोई दवा डाली या औरत ने अपनी शर्मगाह में दवा डाली तो रोज़ा टूट जायेगा और केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी लेकिन अगर आंख में दवा डाली या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह अगर कान में पानी डाला तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।

अगर अगरबत्ती या लोबान सुलगाई फिर उसको सूंघा और धुआं अन्दर चला गया तो रोज़ा टूट जायेगा। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से रोज़ा टूट जायेगा।

क़ै (उल्टी) के बारे में लोगों में आम तौर से ये ग़लत फ़हमी पायी जाती है कि चाहे जिस तरह की भी क़ै हो रोज़ा टूट जायेगा, इसलिये क़ै के सिलसिले में आप स0अ0 ने इरशाद फ़रमायाः

जिसको रोज़े की हालत में ख़ुद से क़ै हो जाये उस पर क़ज़ा नहीं है और जो जानबूझ कर क़ै करे उस क़ज़ा ज़रूरी है। (तिरमिज़ी)

इस हदीस के आधार पर फ़ुक़्हा (धार्मिक विद्वानों) ने फ़रमायाः क़ै कि कई सूरतें हो सकती हैं लेकिन रोज़ा केवल दो सूरतों में टूटता है, एक ये कि मुंह भर के हो और रोज़ेदार इसको निगल ले, चाहे पूरी क़ै या चने के बराबर या उससे ज़्यादा को निगले। दूसरे ये कि जानबूझ कर क़ै करे और मुंह भर के क़ै हो, बक़िया किसी और तरह की क़ै से रोज़ा नहीं टूटता है।

पान, तम्बाकू और सिगरेट–बीड़ी का हुक्म

इसी हुक्म में पान तम्बाकू और सिगरेट इत्यादि भी हैं। पान तम्बाकू की पीक अगर कोई निगल लेता है तो

बिल्कुल साफ़ बात है कि उसने एक चीज़ हलक़ से नीचे उतार ली। अतः इससे रोज़े के चले जाने में कोई शक की बात ही नहीं है लेकिन कुछ लोग पीक निगलते नहीं है सिर्फ़ पान व तम्बाकू चबाकर उसे थूक देते हैं। इसलिये कुछ लोगों को शक होता है कि उससे शायद रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि फ़ुक़्हा किराम ने फ़रमाया है कि किसी चीज़ के चबाने से रोज़ा नहीं टूटता और इस शक्ल में सिर्फ़ चीज़ को चबाया गया खाया नहीं गया लेकिन ये शक ठीक नहीं है इसलिये कि खाने–पीने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया गया है और उन चीज़ों के चबाने को भी खाना कहते हैं फिर कुछ पान या उसका पीक तो बहरहाल हलक़ के नीचे उतर जाता है साथ ही इसके आदी लोगों को इसमें ख़ास लज़्ज़त (विशेष मज़ा) मिलती है अतः न केवल यह कि उनसे रोज़ा टूट जायेगा। बल्कि अगर उन चीज़ों को जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम होगा।

इसी हुक्म में गुल से दांत मांजना भी है। इसलिये कि इसमें भी ख़ास लज़्ज़त मिलती है और कुछ हिस्सा के अन्दर जाने का बहुत हद तक संभावना रहती है।

जहां तक बीड़ी–सिगरेट इत्यादि का संबंध है तो उसमें जानबूझ कर धुआं अन्दर लिया जाता है और जानबूझ कर धुआं अन्दर लेने से रोज़ा टूट जाता है। अतः इन सारी चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है।

मन्जन और टूथपेस्ट का हुक्म

आप स0अ0 ने मिस्वाक की बड़ी ताकीद फ़रमायी (ज़ोर दिया) है। इस एतबार से फ़ुक़्हा ने रमज़ान में भी मिस्वाक करने की इजाज़त दी है चाहे मिस्वाक की लकड़ी सूखी हो या गीली लेकिन अगर मिस्वाक की तरी उसकी हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जाता है लिहाज़ा रोज़े की हालत में मिस्वाक करते हुए इसका ख़्याल रखना चाहिये कि मिस्वाक की तरी या लकड़ी का कोई हिस्सा हलक़ से नीचे न उतरने पाये।

जहां तक मन्जन व टूथपेस्ट इत्यादि का संबंध है तो उनका हुक्म मिस्वाक के हुक्म से अलग है इसलिये कि इनमें ज़ायक़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है। अतः जिस तरह फ़ुक़्हा (धर्मज्ञाताओं) ने फ़रमाया कि किसी ज़रूरत के बग़ैर किसी चीज़ का चबाना मकरूह है। उसी तरह इन सब चीज़ों का भी हुक्म होगा। यद्यपि किसी ख़ास ग़रज़ से अगर उन चीज़ों से दांत साफ़ करे तो इन्शाअल्लाह कराहत नहीं होगी।

आक्सीजन का हुक्म

दमे के मरीज़ को दौरा पड़ने के वक़्त आक्सीजन दी जाती है। रोज़े की हालत में इस तरह आक्सीजन लेने का क्या हुक्म होगा? फ़िक़्ही जुज़ () को सामने रखा जाये तो ख़्याल होता है कि अगर होता है कि अगर आक्सीजन के साथ कोई दवा न हो तो रोज़ा नहीं टूटना चाहिये क्योंकि ये सांस लेना है और सांस लेने के ज़रिये हवा लेने से रोज़ा नहीं टूटता है और न उसे खाने–पीने में गिना जाता है। अगर इसके साथ दवा के कण भी हों तो फिर उससे रोज़ा टूट जायेगा। (जदीद फ़िक़्ही मसले : 188/1)

जहां तक दमे के मरीज़ के लिये इन्हेलर के प्रयोग का संबंध है तो चूंकि इसमें दवा मिली हुई होती है लिहाज़ा इससे रोज़ा टूट जायेगा।

इन्जेक्शन और ड्रिप लगवाना

उलमा की सहमति इसी पर है कि इन्जेक्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे रग में लगाया जाये या गोश्त में। यही हुक्म ड्रिप लगवाने का भी है, लेकिन बग़ैर किसी ग़रज़ के बेहतर यही है कि दिन में न लगवाये, ज़रूरत हो तो दिन में भी लगवा सकता है, लेकिन सिर्फ़ इस मक़सद से ड्रिप लगवाना कि बदन में ताक़त आ जाये और प्यास में कमी हो जाये मकरूह है।

ज़बान के नीचे दवा रखना

फ़ुक़्हा ने अनावश्यक किसी चीज़ को मुंह में रखने और चखने को मकरूह घोषित दिया है, यद्यपि यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कारण से ऐसा करे तो कराहत नहीं होगी। कारण की मिसाल में फ़ुक़्हा ने लिखा है कि शौहर अगर बदअख़लाक (दुर्व्यवहरी) और सख़्त मिज़ाज वाला हो तो उसकी बीवी के लिये नमक इत्यादि का पता लगाने के लिये चखना जायज़ होगा। लेकिन साथ ही ये साफ़ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ मुंह में रखी या चबाई जिसका हलक़ के नीचे उतर जाना विश्वस्नीय है तो रोज़ा टूट जायेगा। इसकी मिसाल में फ़ुक़्हा ने कुछ गोंदो का नाम लिया है। शायद इसी वजह से हमारे उलमा ने पान तम्बाकू इत्यादि के मुंह में रखने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया है। इसलिये कि इसका असर साफ़ तौर पर हलक़ के नीचे पहुंच जाते हैं और तम्बाकू की तलब पूरी हो जाती है।

इस व्याख्या के बाद हम आसानी से फ़ैसला कर सकते हैं कि "इन्जाइना" (दिल का रोग) के मरीज़ों के लिये इस

ज़रूरत से कहीं बढ़कर है जिसके तहत बीवी को नमक चखने की छूट दी गयी है और सवाल केवल ये रह जाता है कि ये दवा हलक़ के नीचे तो नहीं उतरती?अगर एहतियात के बावजूद दवा के ज़र्रात ख़ास गोंद की तरह हलक़ के नीचे उतर जाते हों तो उसके मुंह में रखने से रोज़ा टूट जायेगा और ज़बान के नीचे रखने के बाद तबियत बेहतर हो जाने से लगता है ज़ाहिरी तौर पर यही बात है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जहां तक हो सके रोज़ेदार इस गोली का इस्तेमाल न करे लेकिन इसके इस्तेमाल से रोज़ा उसी वक़्त टूटेगा जब दवा मिला हुआ लुआब (एक प्रकार का थूक) हलक़ के नीचे उतर जाये। सिर्फ़ जबान के नीचे गोली रखना रोज़ा टूटने की वजह नहीं होगी।

इन्हेलर का इस्तमाल

जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनको इन्हेलर के ज़रिये दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके ज़रिये पाउडर का बहुत छोटा कण फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इलाज के इस तरीक़े के ज़रिये दवा के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जायेगा। इसलिये फ़िक़ के नज़रिये से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि मनाफ़िज़–ए–अस्लिया (मुंह, दिमाग, नाक, कान, अगली–पिछली शर्मगाहें) से जब किसी चीज़ को दाख़िल किया जा रहा हो तो केवल दाख़िले से रोज़ा टूट जाता है और इन्हेलर के इस्तेमाल में बहरहाल दख़ल होता है चाहे दवा कम ही क्यों न हो।

भाप की शक्ल में दवा का इस्तेमाल

निमोनिय और कई दूसरी बीमारियों में भाप के ज़रिये भी दवा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल कभी दवा को पानी में डालकर और पानी को खौलाकर उसकी भाप मुंह और नाक से लेकर किया जाता है और कभी ये काम कुछ यन्त्रों के द्वारा किया जाता है। बहरहाल भाप चाहे किसी भी यन्त्र की मदद से ली जाये या सादा तरीक़े से, दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा, इसके लिये फ़ुक़्हा ने साफ़ किया है कि जानबूझ कर धुआं हलक़ के नीचे उतारने से रोज़ा टूट जाता है और ये बात इसमें पूरी तरह से पायी जाती है।

बवासीरी मस्सों पर मरहम लगाने का आदेश

अगर पीछे के रास्ते से किसी दवा का प्रयोग किया जाए और दवा हुक़्ना (पिछली शर्मगाह का भीतरी भाग) लगाने के स्थान तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए फ़ुकहा ने इसको भी हुक़्ना लगाने के स्थान में सम्मिलित किया हैं जबकि फ़ुकहा ने स्पष्ट किया है कि यदि दवा हुक़्ना लगाने के स्थान तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि कोई दवा या मरहम लगाने से या इसको पानी से तर करके चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए कि जानकारों का कहना है कि बवासीरी मस्से हुक़्ना लगाने के स्थान से बहुत नीचे होते हैं।

रोग की पुष्टि के लिए यन्त्रों का प्रयोग

अगर रोग की खोज के लिए पीछे के गुप्तांग में किसी यन्त्र की सहायता ली जाए तो अगर यह यन्त्र सूखे हैं और इनका एक सिरा बाहर है जैसा कि आमतौर पर होता है तो इन यन्त्रों को अन्दर डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर यन्त्र पर कोई तेल या ग्रीस जैसी चीज़ लगाकर इसे अन्दर किया गया है तो रोज़ा टूट जाएगा।

यही हुक्म औरत की अगली शर्मगाह तहक़ीक़ (खोज) के लिये किसी यन्त्र के डालने का भी है।

गर्भ तक यन्त्र का पहुंचाना

गर्भ की सफ़ाई के लिये और फ़मे रहम () को बढ़ाने के लिये जो यन्त्र (क्पसंजवते) प्रयोग किये जाते हैं और गर्भ का अन्दरूनी हिस्सा खुरचने का यन्त्र (ब्नतमजजम) यदि उन पर कोई तेल इत्यादि लगाकर उनको प्रविष्ठ कराया जाये तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर सूखा डाला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

लेकिन यदि सूखा डालकर और एक बार बाहर निकालकर दोबारा साफ़ किये बिना उनको फिर डाला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा चाहे दोबारा सूखा हो गीला।

औरत की शर्मगाह में दवा कर रखना

यदि आन्तिरक भाग में कोई दवा रखी जाए या रखी ऊपरी हिस्से में जाए वह अन्दरूनी हिस्से तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे दवा गीली हो या सूखी।

पेशाब के स्थान तक नली का पहुंचना

यदि मर्द के मुसाना तक नली पहुंचाई जाये तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे नली सूखी हो या गीली इससे दवा पहुंचाई जाए या नहीं और औरत के मुसाना में नली पहुंचाई जाए तो यदि नली गीली है तो या इससे दवा पहुंचाई गई है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर नली सूखी हो और इससे दवा भी न पहुंचाई गई हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

कुरआन मजीद का अदब

ऐसे मुबारक कलाम को पढ़ने के लिये पूरे अदब व लिहाज़ की ज़रूरत है। वो ऐसा कलाम नहीं है कि बेतवज्जोही और बेदिली से पढ़ा जाये। न वो ऐसी किताब है कि जिस तरह चाहे उठा लिया, जिस तरह चाहे पढ़ लिया, इसके लिये ज़बान की पाकी और दिल की पाकी चाहिये।

हज़रत अकरमा रज़ि० का वाक़्या है कि वह जब कुरआन शरीफ़ खोलते तो ख़ुदा के ख़ौफ़ से बेहोश हो जाते और ज़बान पर "ये मेरे रब का कलाम है" "ये मेरे रब का कलाम है"। यही वो अज़मत थी जिसने सहाबा किराम रज़ि० को सबसे ज़्यादा बुलन्द मक़ाम दिया था। जब वो कुरआन शरीफ़ पढ़ते तो ख़ुद उनकी ज़िन्दगी में तब्दीली आ जाती है और सुनने वाले बेख़ुद हो जाते। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ि० जब अपने घर के अहाते में कुरआन शरीफ़ की तिलावत करते तो कुफ़्फ़ार मक्का की औरतें और बच्चे घेरा डालकर खड़े हो जाते और सुन—सुन कर बेख़ुद होने लगते और कुरआन शरीफ़ की तिलावत सख़्त से सख़्त दिल को मोह लेती और सोज़ व गुदाज़ से दिल भर जाते और आखें नम हो जातीं। इसकी असर अंगेज़ी के बेशुमार वाक़्यात हैं कि कुरआन की आयत सुनने के बाद कितने काफ़िर मुसलमान हो गये। वो असर आज भी है लेकिन अगर पढ़ने वाला उन आदाब और हुक़ूक़ का लिहाज़ रखे जो कुरआन करीम के हैं।

ख़ुद अल्लाह तआला का इरशाद है: "इसको पाक लोग ही हाथ लगांए।"

बेअदबी और बेतवज्जोही इन्सान को नेमत और उसकी बरकत से महरूम कर देती है।

मशाएख़ और उलमा ने कुरआन करीम के कुछ ज़ाहिरी और कुछ बातिनी आदाब लिखे हैं:

१— इन्तिहाई एहतराम के साथ बावज़ू और क़िब्ला रू होकर पढ़े।

२— जल्दी न पढ़ें , तरतील और तजवीद से पढ़ें।

३— रोने की सई करें चाहे तकलीफ़ से हो।

४— आयत—ए—रहमत पर दुआए मग़फ़िरत व रहमत करें और आयते अज़ाब व वईद पर ख़ुदा की पनाह मांगे और आयते तन्ज़िया व तक़दीस पर सुब्हानल्लाहि कहें।

५— दिखावा लग रहा हो या किसी मुसलमान की तकलीफ़ का ख़्याल हो तो धीमें पढ़े।

६— ख़ुश इल्हानी से तिलावत करें।

मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह०

R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Postal Reg. No.
RBL/NP -19

Issue: 05 | MAY 2017 | VOLUME: 09

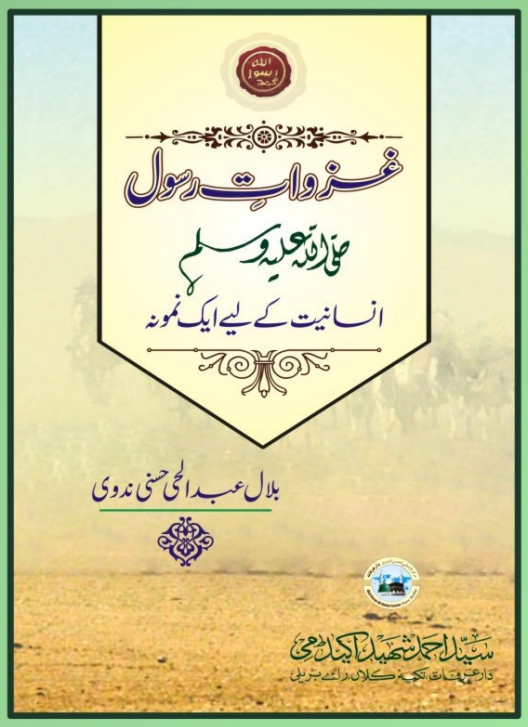

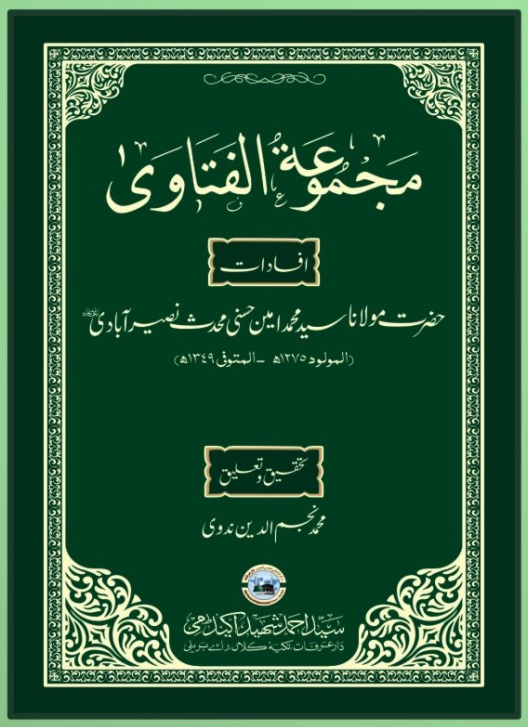

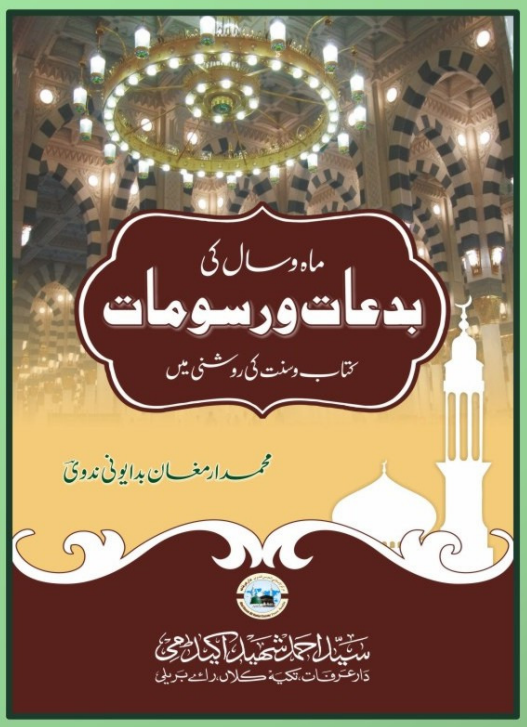

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI
Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile:9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalinadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche,Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.